ए.

शिवकुमार और ओआरएस।

बनाम

शरनाबासप्पा और ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 6076)

बी.

अप्रैल 24,2020

[ए**.** एम**.** खानविलकर**,** हेमंत गुप्ता और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

वादी-अपीलार्थियों की इच्छा-वास्तविकता ने घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया कि उन्होंने एक 'एस' द्वारा निष्पादित एक वसीयत के आधार पर मुकदमे की संपत्तियों में स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिए थे और मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा बनाया गया ट्रस्ट अवैध और शून्य था-प्रतिवादियों ने कथित वसीयत की वास्तविकता पर सवाल उठाया-निचली अदालत ने वादी के पक्ष में वसीयत से संबंधित प्रमुख मुद्दे का फैसला किया-हालांकि, उच्च न्यायालय ने वसीयत की वास्तविकता से संबंधित प्रमुख मुद्दे पर निचली अदालत के फैसले को उलट दिया-अपील पर कहा गया:तत्काल मामले में, दस्तावेज़/विचाराधीन वसीयत में अप्राकृतिक और असामान्य विशेषताएं थीं-वसीयत तैयार करने में कागज की अलग-अलग शीट्स का उपयोग किया गया था; वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों का स्थान अंतिम टाइप किए गए पदार्थ से सामान्य दूरी से परे कम से कम दो स्थानों पर था; तीन हस्ताक्षर करने में, कम से कम दो अलग-अलग कलमों का उपयोग किया गया था; सामने वाले पृष्ठ संख्या 1,3 और 5 में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर थे, पिछले पृष्ठ, यानी। पृष्ठ 2 और 4 पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे-इसके अलावा, संपत्तियों के विवरण के संबंध में कई रिक्त स्थान पाए गए थे और यहां तक कि कुछ संपत्तियों का सही ढंग से वर्णन नहीं किया गया था-पिछली घटना के दस्तावेज़ में (किरायेदार द्वारा दुकान खाली करने के बारे में) इस तरह से पाठ किया गया था कि ऐसी घटना भविष्य में होगी-दस्तावेज़ के शुरुआती भाग में, पाठ का प्रभाव यह था कि वसीयतकर्ता वसीयत कर रहा था क्योंकि इतनी दुर्घटनाएं होती हैं-तथ्य यह है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु 20.05.1994 पर एक दुर्घटना में हो गई थी और वसीयत 20.05.1991 पर की गई थी-इसके अलावा, वादी ने उस व्यक्ति का बयान प्राप्त करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए,

जिसे अन्यथा सभी भौतिक गवाहों द्वारा उस व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया था जिसके सामने दस्तावेज़ था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

666 ए.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस।

667

वसीयतकर्ता 'एस' की मृत्यु के बाद प्रश्न तैयार किया गया था जिसमें खाली हस्ताक्षरित कागजातों का उपयोग किया गया था जो प्रस्तावकों और उनके सहयोगियों के कब्जे में आए थे-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि विवादित वसीयत एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XLI, rr.23, 23 ए, 24 और 25-अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमांड का आदेश-आयोजितः Or.XLI के नियम 23,23A और 24 का एक संयुक्त पठन रिमांड की शक्तियों के दायरे के साथ-साथ रूप को भी सामने लाता है कि जब उपलब्ध साक्ष्य मामले के निपटारे के लिए पर्याप्त है, तो एक अपीलीय न्यायालय के लिए उचित पाठ्यक्रम आर के जनादेश का पालन करना है।24 आई. डी. 1 सी. पी. सी. और अंत में वाद का निर्धारण करने के लिए-यह केवल ऐसे मामलों में है जहां चुनौती में डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है और पुनः परीक्षण आवश्यक माना जाता है कि अपीलीय न्यायालय रिमांड मामले की प्रक्रिया को अपनाएगा।

बी.

सी.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

डी.

अभिनिर्धारित किया कि **1.** उच्च न्यायालय स्वयं दस्तावेज़ से असंतुष्ट था और यहाँ पहले निकाले गए कुछ अंशों में उसके द्वारा विस्तृत और चर्चा की गई कई अप्राकृतिक परिस्थितियों के बारे में रिकॉर्ड पर कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया।अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष असाधारण बने हुए हैं।**[**पैरा **14] [706-**जी**]**

ई.

2. विचाराधीन दस्तावेज़ की कम से कम चार असामान्य विशेषताएं रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट हैं।पुनर्कथन के लिए, विचाराधीन दस्तावेज़ की परेशान करने वाली असामान्य विशेषताएं यह हैं कि:**(i)** इसे कागज की **3** अलग-अलग शीटों पर टाइप किया जाता है; **(ii)** वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों का स्थान एकरूपता का नहीं है और पृष्ठ संख्या **1** और पृष्ठ संख्या **5** पर टाइप की गई सामग्री और हस्ताक्षरों के बीच अत्यधिक स्थान देखा जाता है; **(iii)** विभिन्न पृष्ठों पर हस्ताक्षर के लिए अलग-अलग कलमों का उपयोग किया गया है, जिसमें पहले और तीसरे हस्ताक्षर के लिए स्याही कलम का उपयोग किया गया है **(**पृष्ठ संख्या **1** और पृष्ठ संख्या **5** पर**)** और दूसरे हस्ताक्षर के लिए बॉलप्वाइंट कलम का उपयोग किया गया है **(**पृष्ठ संख्या **3** पर**);** और **(iv)** सभी टाइप किए गए पृष्ठों पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसमें पृष्ठ संख्या **2** और पृष्ठ संख्या **4** पर कोई हस्ताक्षर नहीं है।इसके लिए बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि सामान्य रूप से, सामान्य

एफ.

जी.

एच.

ए.

और सामान्य रूप से, इस तरह के एक टाइपराइट किए गए दस्तावेज़ से एक ही ढेर से तैयार किए गए कागज की चादरों पर होने की उम्मीद की जाती है; दस्तावेज़ के माध्यम से चलने वाले हस्ताक्षरों को रखने में उचित एकरूपता होगी और प्रत्येक हस्ताक्षर को सामग्री के साथ या उससे उचित दूरी पर रखा जाएगा; सभी स्थानों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक ही कलम या उपकरण का उपयोग किया जाएगा; और, आम तौर पर, वसीयत बनाने वाला अपने इरादे की अभिव्यक्ति में ऐसी अस्पष्टता नहीं छोड़ेगा जो उसके **3** पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उसी दस्तावेज़ के **2** अन्य पृष्ठों पर हस्ताक्षर नहीं करने से उत्पन्न होगी।वास्तव में, लेन-देन के सामान्य और सामान्य क्रम में, वसीयत बनाने वाले से दस्तावेज़ के किसी भी पृष्ठ को बिना हस्ताक्षर के छोड़ने की कम से कम अपेक्षा की जाती है।हालाँकि दस्तावेज़ के टाइप करने और हस्ताक्षर करने के दौरान ऐसी कुछ असामान्य विशेषताओं **(**जैसा कि ऊपर देखा गया है**)** के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब ऐसी सभी असामान्य विशेषताएं एक

साथ जुड़ती हैं, तो दस्तावेज़ बहुत कमजोर हो जाता है और इसे एक वास्तविक दस्तावेज़ के रूप में आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।[पैरा **15.5**।][**709**-जी-एच; **710**-ए-ई]

बी.

सी.

डी.

3. विचाराधीन दस्तावेज़ में असामान्यता की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो असामान्यताओं के दायरे में आती हैं।मामला केवल ऐसी असामान्यताओं के साथ नहीं है।ये असामान्य विशेषताएं इस दस्तावेज़ की सामग्री में उपलब्ध अन्य असामान्य विशेषताओं के साथ भ्रमित हो जाती हैं। निर्विवाद रूप से, गुणों के विवरण के संबंध में कई रिक्त स्थान पाए जाते हैं और यहां तक कि कुछ गुणों का सही वर्णन नहीं किया गया है।इसके अलावा, हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर के संदर्भ में दस्तावेज़ में उल्लिखित तिथियां मेल नहीं खाती हैं।एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि पिछली घटना के दस्तावेज़ में (वर्ष **1990** में किरायेदार द्वारा दुकान को खाली करने के बारे में) इस तरह से पाठ किया जाता है कि ऐसी घटना भविष्य में होगी।इसलिए, कागज, कलम और हस्ताक्षर से संबंधित असामान्यताएं दस्तावेज़ में खाली स्थानों के साथ-साथ गलत और अकथनीय पाठों के साथ भी बढ़ जाती हैं।[पैरा **16**] [**710**-एफ-एच; **711**-डी]

ई.

एफ.

4. दस्तावेज़ एक्स के संभावित मूल्य से संबंधित समस्याएं। पी. **4** उपरोक्त असामान्य विशेषताओं और जिज्ञासु कारकों के साथ समाप्त नहीं होता है।इस दस्तावेज़ की बारीकी से जांच हमें असामान्यताओं से रहस्यों की ओर भी ले जाती है।इस दस्तावेज़ के प्रारंभिक अंश में, पाठ इस प्रभाव के लिए है कि ए

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस।

669

वसीयतकर्ता वसीयत बना रहा था क्योंकि कई दुर्घटनाएँ होती हैं।तथ्य यह है कि वसीयतकर्ता और उसकी पत्नी दोनों की **20.05.1994** पर कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन यह स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से रहस्यमय क्षेत्र में यात्रा करने की आवश्यकता होगी कि

20.05.1991 पर वसीयत बनाते समय, वसीयतकर्ता को पूर्व सूचना थी कि वह एक वाहन दुर्घटना में नष्ट हो जाएगा।**[**पैरा **17] [711-**बी-सी**]**

बी.

5. अपीलार्थियों की ओर से इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा **63** और साक्ष्य अधिनियम की धारा **68** की आवश्यकताओं के अनुसार वसीयत का निष्पादन प्रमाणक गवाहों की गवाही के साथ रिकॉर्ड पर विधिवत स्थापित किया गया है और वह गवाह भी जिसके साथ वसीयत के हस्तलिखित मसौदे के साथ वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा जमा की गई थी।अपीलार्थियों की ओर से इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा **68** की आवश्यकताओं के अनुसार दस्तावेज़ का केवल प्रमाण वसीयत के रूप में दस्तावेज़ की स्वीकृति के लिए अंतिम और निर्णायक नहीं है।जब संदिग्ध परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं और संदेह को दूर नहीं किया जाता है, तो विचाराधीन दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। **[**पैरा **20] [712-**डी-एफ**]**

सी.

डी.

6. विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर विस्तार करने के बाद, जो व्यक्तिगत रूप से और संचयी रूप से केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचाराधीन दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वादी के मामले में कई अन्य कमियों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है, जिसमें कई अन्य कारक शामिल हैं जैसे कि वादी ने कभी भी उक्त स्वामीजी का बयान दर्ज कराने के लिए कदम नहीं उठाए, जिसे अन्यथा सभी भौतिक गवाहों द्वारा उस व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया था जिसके सामने दस्तावेज़ कथित रूप से खोला गया था।**[**पैरा **23] [713-**ई-जी**]7.** इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन दस्तावेज़ एच**.** वेंकटचाला अयंगर के मामले में बताए गए पहले प्रश्न पर सपाट पड़ता है, यानी कि क्या वसीयतकर्ता ने विचाराधीन वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।इस सवाल का जवाब केवल नकारात्मक है।यह इस तथ्य के अलावा है कि विचाराधीन दस्तावेज, जिसे वसीयत के रूप में प्रस्तावित किया गया है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा **63** के खंड **(**बी**)** की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है। **[**पैरा **24] [713-**जी-एच**]**

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

8. आदेश एक्स**.** एल**.** आई**.** के नियम **23,23** ए और **24** का एक संयुक्त अध्ययन रिमांड की शक्तियों के दायरे के साथ**-**साथ रूप को भी सामने लाता है कि जब उपलब्ध साक्ष्य मामले का निपटारा करने के लिए पर्याप्त है**,** तो एक अपीलीय न्यायालय के लिए उचित मार्ग आदेश एक्स**.** एल**.** आई**.** सी**.** पी**.** सी**.** के नियम **24** के जनादेश का पालन करना और अंत में मुकदमे का निर्धारण करना है।यह केवल ऐसे मामलों में है जहां चुनौती में डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है और एक पुनः परीक्षण आवश्यक माना जाता है कि अपीलीय न्यायालय मामले को रिमांड करने की प्रक्रिया अपनाएगा।यह सामान्य बात है कि रिमांड का आदेश नियमित तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि रिमांड का अनुचित आदेश न्याय के कारण को पूरा किए बिना मुकदमे के जीवन को केवल बढ़ाता है।केवल इस आधार पर रिमांड का आदेश कि साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित बिंदुओं पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था**,** किसी दिए गए मामले में उचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास स्वयं तथ्यों में प्रवेश करने और साक्ष्य की सराहना करने का अधिकार क्षेत्र है।बेशक**,** ऐसी कई संभावनाएं हो सकती हैं जो रिमांड के आदेश को उचित ठहरा सकती हैं या जहां किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर रिमांड की आवश्यकता होगी। **[**पैरा **25.4] [716-**बी**-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम बी. एन. थिम्माजम्मा और अन्य।

ए. आई. आर 1959 एस. सी 443:[1959] पूरक।एस. सी. आर. 426 पी. पी. के.

ई.

गोपालन नाम्बियार बनाम पी. पी. के. बालकृष्णन नाम्बियार और

ओआरएस। (1995) पूरक 2 एस. सी. सी. 664:[1995] 2 एससीआर 585; के.

लक्ष्मणन बनाम थेक्कायिल पद्मिनी और अन्यः(2009) 1

एससीसी 354:[2008] 16 एस. सी. आर. 1117; श्रीमती जसवंत कौर बनाम.

श्रीमती**.** अमृत कौर और ओआरएस। **(1977) 1** एससीसीः**[1977] 1**

एस**.** सी**.** आर**. 925-**पर निर्भर।

एफ.

श्रीमती. इंदु बाला बोस और ओआरएस. वी.मनिंद्र चंद्र

बोस और एनर। (1982) 1 एससीसी 20:[1982] 1 एससीआर 1188;

उमा देवी नाम्बियार और ओआरएस**.** वी**.**टी**.** सी**.** सिधन **(2004) 2**

एससीसी 321:[2003] 6 पूरक।एससीआर 637; महेश कुमार

(मृत) एल. आर. बनाम विनोद कुमार और अन्य (2012) 4 एस. सी. सी. 387; मोहन कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और

जी.

ओआरएस। (2017) 4 एससीसी 92:[2017] 2 एससीआर 889; शशि

कुमार बनर्जी और ओआरएस. वी.सुबोध कुमार बनर्जी

और ओआरएस। ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529-संदर्भित।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस।

671

ए.

संदर्भित विधि निर्णय

[1982] 1 एससीआर **1188**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6.1**

[1977] 1 एससीआर **925**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6.1**

[1959] पूरक।एससीआर **426**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7**

बी.

[1982] 1 एससीआर **1188**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7.1**

[1995] 2 एससीआर **585**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7.1**

[2003] 6 पूरक।पैरा **7.1 (2012) 4** एस**.** सी**.** सी**. 387** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 637**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7.2**

सी.

[2017] 2 एससीआर **889**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7.3**

[2008] 16 एससीआर **1117**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की सिविल अपील सं. 6076।

डी.

2001 के आर. एफ. ए. सं. 910 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 26.10.2007 के निर्णय और आदेश से।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, मेसर्स वकील एस. निट एंड कंपनी, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता।

राजेश महाले, सुश्री अंजना चंद्रशेखर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

प्रारंभिक और संक्षिप्त बाह्य रेखा

एफ.

1. इस अपील के माध्यम से, वादी-अपीलकर्ताओं ने 2001 की नियमित पहली अपील संख्या 910 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26.10.2007 के फैसले और डिक्री को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने 1994 के मूल दीवानी मुकदमा संख्या 56 में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), कोप्पल न्यायालय द्वारा पारित 12.09.2001 के फैसले और डिक्री को उलट दिया है।

जी.

1.1 उपरोक्त दीवानी मुकदमा वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया था, अनिवार्य रूप से इन प्रस्तुतियों के साथ कि उन्होंने दिनांकित वसीयत के आधार पर मुकदमे की संपत्तियों (वाद से जुड़ी अनुसूची ए से डी में वर्णित) में स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिए थे।

एच.

ए.

20.05.1991 कोप्पल के पंपन्ना शेट्टार के पुत्र श्री संगप्पा द्वारा उक्त संपत्तियों के मालिक द्वारा निष्पादित किया गया; और यह कि प्रतिवादियों द्वारा 28.05.1994 पर, मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में "श्री संगप्पा पंपन्ना गडगेट्टार ट्रस्ट, कोप्पल" के नाम से बनाया गया ट्रस्ट अवैध, अमान्य और वादी पर बाध्यकारी नहीं था।प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों यानी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने कथित वसीयत की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए वादी द्वारा किए गए दावे का खंडन किया। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 7, जो उक्त न्यास के पूर्व न्यासियों में से एक था, ने वादी के दावे को स्वीकार किया और उसका समर्थन किया।

बी.

1.2 आवश्यक मुद्दों को तैयार करने के बाद और पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को लेने के बाद, निचली अदालत ने अपने दिनांक 3 के फैसले में, वादी के पक्ष में उक्त वसीयत दिनांक 1 से संबंधित प्रमुख मुद्दे का फैसला किया और वादी के पक्ष में अन्य आवश्यक मुद्दों पर अपने निष्कर्षों को वापस करते हुए, इस घोषणा के साथ मुकदमे का आदेश देने के लिए आगे बढ़े कि प्रतिवादी द्वारा 2 पर बनाया गया ट्रस्ट वादी पर बाध्यकारी नहीं था, विशेष रूप से मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में; और यह कि वादी मुकदमे की संपत्तियों के मालिक थे जैसा

कि दावा किया गया था।ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खिलाफ निषेधाज्ञा भी जारी की कि वे वादी के शांतिपूर्ण कब्जे और मुक़दमे की संपत्तियों के आनंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

सी.

डी.

1.3 ट्रायल कोर्ट द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और डिक्री पर उच्च न्यायालय में प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों द्वारा उक्त पहली अपील के माध्यम से सवाल उठाया गया था।उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित आई. डी. 1 के विवादित फैसले में विचाराधीन वसीयत की वास्तविकता से संबंधित प्रमुख मुद्दे पर निचली अदालत के फैसले को उलटते हुए अपील की अनुमति देने के लिए आगे बढ़े।उच्च न्यायालय ने कई अस्पष्टीकृत संदिग्ध परिस्थितियों के साथ-साथ विचाराधीन वसीयत में विसंगतियों को पाया और कहा कि कथित वसीयत दिनांकित 20.05.1991 एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था।पीड़ित होने के कारण, वादी ने तत्काल अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

प्रमुख व्यक्तियों, दलों, गवाहों और दस्तावेजों के साथ-साथ निहित संपत्तियां

जी.

2. लेकिन यह स्पष्ट है कि कोप्पल के पंपन्ना शेट्टार के बेटे श्री संगप्पा द्वारा कथित रूप से वादी को वाद संपत्तियों को विरासत में देते हुए निष्पादित की गई वसीयत की वास्तविकता इस मामले में सवाल में है।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

673

ए.

3. विषय-वस्तु की समझ के लिए और इस अपील में उठाए गए प्रश्नों के प्रभावी निर्धारण के लिए, हम मामले में शामिल प्रमुख व्यक्तियों की उनकी संबंधित भूमिकाओं के साथ-साथ दस्तावेजों और संबंधित संपत्तियों पर भी ध्यान दे सकते हैं।

3.1 विचाराधीन वसीयत का वसीयतकर्ताः

बी.

कोप्पल के पंपन्ना शेट्टार के स्वर्गीय पुत्र श्री संगप्पा।

वह एक व्यवसायी थे और श्री गाविसिदेश्वर वी. वी. ट्रस्ट, कोप्पल (जो मुकदमे में पूछे गए ट्रस्ट से अलग है) के अध्यक्ष भी थे।स्वर्गीय श्रीमती. महांतम्मा उनकी पत्नी थीं।

निर्विवाद रूप से, वसीयतकर्ता और उनकी पत्नी दोनों की 20.05.1994 पर एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई।वसीयतकर्ता और उनकी पत्नी के कोई जीवित बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनके बच्चों की शैशवावस्था में मृत्यु हो गई थी और वे अपनी मृत्यु की तारीख को निर्जीव थे।

सी.

3.2 वादी (अपीलार्थी संख्या 1 से 3):

डी.

बासेतप्पा के सभी पुत्र, वादी एस/श्री शिवकुमार, शशिधर और करिबासेवराज, विचाराधीन वसीयत के तहत उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं।वे पूर्ण-भाई हैं और वसीयतकर्ता की पत्नी के पोते-भतीजे हैं।वादियों के अनुसार, उनका पालन-पोषण वसीयतकर्ता और उनकी पत्नी ने किया था और वे वसीयतकर्ता के साथ रह रहे थे।

3.3 प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 1 से 4 यहाँ):प्रतिवादी नंबर 1 श्री शरणबसप्पा पंपन्ना का बेटा वसीयतकर्ता का छोटा भाई है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 श्रीमती। बसवन्नेम्मा और श्रीमती. सिद्धमा वसीयतकर्ता की बहनें हैं; प्रतिवादी संख्या 4 श्री पंपन्ना, बसप्पा का पुत्र और प्रतिवादी संख्या 5 श्री सिद्दन्ना, फकीरप्पा का पुत्र, वसीयतकर्ता के भतीजे हैं।1 - 2

ई.

एफ.

3.3.1 प्रतिवादी संख्या 6 से 8:

प्रतिवादी संख्या 6 श्री गुरुशांतप्पा, संख्या 7 श्री वीरबसप्पा और संख्या 8 डॉ. N.S.Gaikwad को अन्य प्रतिवादियों द्वारा बनाए गए न्यास का सदस्य होने के लिए मुकदमे में शामिल किया गया था, जिससे वादी ने पूछताछ की थी।प्रतिवादी नंबर 7 श्री वीरबसप्पा को करीबी बताया गया था।

जी.

1 प्रतिवादी सं. 2 श्रीमती. बसवन्नेम्मा की मृत्यु मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान हो गई और इस तथ्य को कारण-शीर्षक पर नोट किया गया था।

2 प्रतिवादी संख्या 4 श्री पंपन्ना (प्रतिवादी संख्या 3 यहाँ) की अवधि इस अपील के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को दिनांक 1 के आदेश द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया।

एच.

गाविसिदेश्वर महाविद्यालय के संचालन में वसीयतकर्ता के सहयोगी, जिसमें वसीयतकर्ता शासी निकाय के अध्यक्ष थे।यह प्रतिवादी किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं था; हालाँकि, उसने वादी के दावे को स्वीकार और समर्थन करते हुए एक अलग लिखित बयान दायर किया।3

3.4 विचाराधीन विश्वासः श्री संगप्पा पंपन्ना गडगेट्टार ट्रस्टः प्रतिवादियों ने परोपकारी और धर्मार्थ उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विचाराधीन संपत्तियों को शामिल करने के साथ 28.05.1994 (वसीयतकर्ता के नाम पर) पर यह ट्रस्ट बनाया।इस न्यास के निर्माण को मुकदमे में चुनौती दी गई थी।

बी.

3.5 विशेष उल्लेखः श्री गाविसिदेश्वर स्वामी, कोप्पल (स्वामीजी):वादियों के अनुसार, वसीयतकर्ता एक परोपकारी और श्री गविशिदेश्वर स्वामी, कोप्पल 4 का भक्त था; और विवादित वसीयत स्वामीजी की उपस्थिति में खोली गई थी।लेकिन इस मामले में स्वामीजी से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई।

सी.

3.6 प्रमुख गवाहः

डी.

पीडब्लू-1 श्री बेसेटप्पाः

वह वादी संख्या 1 से 3 का पिता है।वह कथित तौर पर वसीयतकर्ता को उसके व्यवसाय में सहायता करता था।

पीडब्लू-3 श्री राधाकृष्णराव और पीडब्लू-4 श्री अय्यानागौड़ा हीरेगौदरः दावा किया जाता है कि वे विवादित वसीयत के प्रमाणक गवाह हैं।पीडब्लू-8 श्री भुस्नूरमठ, अधिवक्ताः

ई.

वे वसीयतकर्ता के मित्र और वकील थे।कथित तौर पर, वसीयतकर्ता ने विवादित वसीयत को एक सीलबंद लिफाफे में उन्हें इस निर्देश के साथ सौंप दिया कि उसे उनकी मृत्यु के बाद स्वामीजी की उपस्थिति में ही खोला जाना था।विवादित वसीयत कथित तौर पर वसीयतकर्ता और उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु के बाद स्वामीजी की उपस्थिति में 29.05.1994 पर खोली गई थी।

एफ.

3.7 प्रासंगिक प्रदर्शित दस्तावेज़ः

Ex. पी. 2:रद्दीकरण विलेख 26.09.1990 जिसके तहत वसीयतकर्ता ने वर्ष 1974 में अपने द्वारा निष्पादित पहले की वसीयत को रद्द कर दिया।

जी.

3 प्रतिवादी संख्या 6 गुरुशांतप्पा की मृत्यु 13.10.2001 पर हो गई।वह विचाराधीन न्यास के न्यासी थे और उनके स्थान पर कोई प्रतिस्थापन नहीं किया गया था।प्रतिवादी संख्या 7 वीरबसप्पा का नाम 24.07.2006 पर उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की श्रृंखला से हटा दिया गया था।प्रतिवादी संख्या 8 इस अपील में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में रिकॉर्ड में बना हुआ है।

4 इसके बाद उन्हें 'स्वामीजी' भी कहा जाता है।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

675

ए.

Ex. पी. 3:कहा जाता है कि वसीयत का हस्तलिखित मसौदा वसीयतकर्ता द्वारा तैयार किया गया था और निष्पादित वसीयत के साथ सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।Ex. पी. 4:विवादित वसीयत दिनांकित 20.05.1991।

3.8 सूट गुणः

अनुसूची एःसी में भूमि के टुकड़ों से मिलकर। सं. 631 और साय। सं. 632।ये संबंधित अभिलेखों के अनुसार वसीयतकर्ता की पत्नी के नाम पर थे।

बी.

अनुसूची बी, सी और डीःइसमें दुकानें और घर शामिल थे; बेशक वे वसीयतकर्ता के थे।5

सी.

प्रार्थनाओं का सारांश**;** मुद्दे**;** और प्रमाण

4. मामले में शामिल व्यक्तियों और संपत्तियों पर ध्यान देने के बाद, अब हम पक्षकारों की दलीलों, विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुद्दों और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंधित निष्कर्षों की सराहना करने के लिए पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य का सारांश दे सकते हैं।

डी.

शिकायतः

4.1.वादी-अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त वाद दायर कर इस कथन के साथ घोषणा और निषेधाज्ञा की मांग की कि अनुसूची ए से डी तक की संपत्तियां कोप्पल के वसीयतकर्ता श्री संगप्पा शेट्टार के स्वामित्व में थीं और उनके पास थीं; वह अनुसूची ए संपत्तियां, भूमि के टुकड़े होने के कारण, वसीयतकर्ता की पत्नी महांतम्मा के नाम पर खड़ी थीं, लेकिन उनके द्वारा खरीदी गई थीं।यह अनुमान लगाया गया था कि 20.05.1994 पर, वसीयतकर्ता संगप्पा शेट्टार और उनकी पत्नी की हुबली-शिग्गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।यह भी कहा गया था कि दोनों की बिना किसी समस्या के मृत्यु हो गई क्योंकि उनके जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी।वादी ने आगे वसीयतकर्ता के साथ पक्षों के संबंधों की ओर इशारा किया और आरोप लगाया कि वसीयतकर्ता पहले अपने परिवार के साथ संयुक्त था, लेकिन वर्ष 1964 में या उसके आसपास, एक विभाजन हुआ और उसके बाद, वह अपनी मृत्यु तक अलग रहा।वादी ने जोर देकर कहा कि उनकी मां महादेवम्मा वसीयतकर्ता की पत्नी की बहन थी; वसीयतकर्ता श्री संगप्पा ने प्यार और स्नेह के कारण वादी को अपने घर में रखकर उठाया; कि वादी के पिता (पीडब्लू-1) की शादी वसीयतकर्ता द्वारा वर्ष 1972 में की गई थी; और यह कि मृतक वसीयतकर्ता ने वादी के पिता से भी व्यवसाय में उनकी सहायता करने का अनुरोध किया था।वादी ने आगे कहा कि मृतक वसीयतकर्ता ने एक वसीयत को निष्पादित किया

ई.

एफ.

जी.

5 वसीयतकर्ता के पास कई अन्य संपत्तियाँ भी थीं जिनका वसीयत में उल्लेख नहीं था, और इसलिए, वे मुक़दमे की संपत्तियों का हिस्सा नहीं हैं।

एच.

वर्ष 1974 में, लेकिन उत्तराधिकारियों के व्यवहार से मोहभंग होने के कारण, उन्होंने इसे 26.09.1990 पर रद्द कर दिया।वादी ने बताया कि मृतक वसीयतकर्ता श्री गविशिदेश्वर वी. वी. ट्रस्ट, कोप्पल का अध्यक्ष और कोप्पल के श्री गविशिदेश्वर स्वामीजी का प्रबल भक्त था।वादी ने यह भी कहा कि मृतक वसीयतकर्ता ने व्यवसाय का नाम गुरुकृपा स्टोर से बदलकर गुरुकृपा ट्रेडर्स कर दिया।

बी.

4.1.1.वादी ने आगे कहा कि 20.05.1991 पर, वसीयतकर्ता श्री संगप्पा शेट्टार ने वादी के पक्ष में संयुक्त रूप से एक वसीयत अनुसूची ए संपत्तियों को निष्पादित किया; वादी संख्या 1 के पक्ष में अनुसूची बी संपत्ति; वादी संख्या 2 के पक्ष में अनुसूची सी संपत्ति; और वादी संख्या 3 के पक्ष में अनुसूची डी संपत्ति जबकि उसकी शेष संपत्तियों को अक्षुण्ण रखने का निर्देश दिया गया था और वादी को उन संपत्तियों को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू करने का निर्देश दिया गया था।वादियों ने जोर देकर कहा कि विचाराधीन वसीयत का विलेख मृतक द्वारा स्वेच्छा से और अच्छी मानसिक स्थिति में निष्पादित किया गया था; और उचित निष्पादन के बाद, उन्होंने वसीयत को एक सीलबंद लिफाफे में रखा और स्वामीजी की उपस्थिति में अपनी मृत्यु के बाद उसे खोलने के निर्देश के साथ श्री भुसानोर्मथ, अधिवक्ता (पीडब्लू-8) के पास जमा कर दिया। वादियों के अनुसार, वसीयतकर्ता संगप्पा, पीडब्लू-8 भुसानोर्मथ की मृत्यु के बाद, अधिवक्ता ने वसीयत के बारे में सूचित किया और स्वामीजी की उपस्थिति में इसे 29.05.1994 पर खोला गया।4.1.2.वादी ने कहा कि मृतक वसीयतकर्ता और प्रतिवादियों के बीच संबंध उनकी मृत्यु तक सौहार्दपूर्ण नहीं थे; हालाँकि, मृतक ने प्रतिवादी नं. 3 ताकि वह वहाँ रह सके।वादियों ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और फिर भी विचाराधीन ट्रस्ट का निर्माण किया, जो किसी भी मामले में, वादी के अधिकारों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का नहीं था, जो वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर वाद संपत्तियों के मालिक बन गए थे।इन कथनों के साथ, वादी ने प्रतिवादियों द्वारा इस प्रकार बनाए गए न्यास के खिलाफ घोषणा करने के साथ-साथ विचाराधीन संपत्तियों पर उनके स्वामित्व अधिकारों और प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए आगे की मांग की।

सी.

डी.

ई.

एफ.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित बयान जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2-6 और 8 द्वारा अपनाया गया हैः

जी.

4.2.प्रतिवाद करने वाले प्रतिवादियों ने शिकायत के कथनों का खंडन किया और अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सी. पी. सी.') की धारा 92 के प्रावधानों के तहत बनाए रखने योग्य नहीं था; कि विचाराधीन न्यास को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था; और यह कि ए.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

सूट गुणों का विवरण सही नहीं था।4.2.1.यह कहते हुए कि श्री संगप्पा और उनकी पत्नी दोनों की लगभग 3 बजे हुई वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गईः15 इन प्रतिवादियों ने कहा कि लगभग 18 घंटों के बाद उनके शवों की पहचान की गई। और यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपना अंतिम संस्कार किया।विभाजन के आरोप का खंडन किया गया।

बी.

4.2.2.प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने आगे इन दावों का खंडन किया कि वादी का पालन-पोषण संगप्पा ने किया था और कहा कि वादी अपने पिता और माँ के साथ किराए के घर में रह रहे थे। प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि मृतक और वादी के पिता के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और वादी के पिता वास्तव में मृतक संगप्पा के व्यवसाय के स्थान के विपरीत श्री करीबसावाश्वर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से व्यवसाय चला रहे थे जो गुरुकुल व्यापारियों के नाम पर चल रहा था। 4.2.3.वादी द्वारा प्रस्तावित वसीयत पर सवाल उठाते हुए, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि वादी मृतक की संपत्तियों में रुचि रखते हैं और उन्होंने गलत उद्देश्यों से वसीयत बनाई थी।इन प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया कि मृतक ने वसीयत तैयार की और उसे सीलबंद लिफाफे में रखा और स्वामीजी की उपस्थिति में उसे खोलने के निर्देश के साथ इसे अधिवक्ता को जमा कर दिया।प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने वसीयत से संबंधित विभिन्न संदिग्ध परिस्थितियों को याद करते हुए आरोप लगाया कि वसीयत में मृतक संगप्पा के हस्ताक्षर नहीं थे; कि अंग्रेजी कैलेंडर के साथ हिंदी कैलेंडर की तारीख में बेमेल था; कि पिछली घटनाओं को वसीयत में इस तरह से बताया गया था कि वे भविष्य में होंगी; कि संपत्तियों के विवरण में विभिन्न रिक्त स्थान बचे थे और अन्यथा भी, विवरण गलत था; कि राजेश्वरी और सिद्धबसेम्मा को वसीयत की गई राशि नहीं दिखाई गई थी; और वसीयत के तहत संपत्तियों का विवरण असंगत, गलत और अधूरा था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

4.2.4.प्रतिवादियों ने यह भी आरोप लगाया कि संगप्पा और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद, वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक संगप्पा के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी बन गए और मृतक के नेक विचारों को लागू करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया था।प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने यह भी आरोप लगाया कि 28.05.1994 पर ट्रस्ट की घोषणा विवादित वसीयत के विलेख के निर्माण से पहले की गई थी, जिसे कथित तौर पर 29.05.1994 पर खोला गया था।यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 7

जी.

एच.

678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

ट्रस्ट के हितों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उन्हें एक प्रस्ताव के माध्यम से ट्रस्ट से हटा दिया गया।

वादी का समर्थन करते हुए प्रतिवादी संख्या 7 का लिखित बयान

4.3.प्रतिवादी संख्या 7 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया, जिसमें अनिवार्य रूप से वादी के दावे को स्वीकार किया गया।इस प्रतिवादी ने कहा कि वह गाविसिद्धेश्वर कॉलेज चलाने में मृतक का करीबी सहयोगी था और वह मृतक की लिखावट से परिचित था।इस प्रतिवादी के अनुसार, श्री संगप्पा की मृत्यु के बाद, वकील ने उनसे मुलाकात की और वसीयत नहीं की गई संपत्तियों से बनाए जाने वाले धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के साथ ट्रस्ट के बारे में सूचित किया। इसके अलावा, एक दिन वे प्राचार्य मल्लिकार्जुन सोमलापुर के घर के पास स्वामीजी को सम्मान देने के लिए रुके; और वकील ने स्वामीजी को मृतक द्वारा छोड़ी गई वसीयत के बारे में सूचित किया; और स्वामीजी ने निर्देश दिया कि वसीयत को प्रभावी किया जाए, जिससे दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके।

बी.

सी.

डी.

4.3.1.प्रतिवादी संख्या 7 ने आगे कहा कि अधिवक्ता ने उसे वसीयत की एक ज़ेरॉक्स प्रति सौंपी और वह उसी की जांच करने और सत्यापित करने वाले गवाहों से पूछताछ करने के बाद इसकी वास्तविकता के बारे में आश्वस्त था; और उन्होंने यह भी पाया कि मसौदा मृतक की लिखावट में था।इस प्रतिवादी ने 10.06.1994 पर न्यास की बैठक की कार्यवाही का भी उल्लेख किया, जिसमें एक सुझाव दिया गया था कि वसीयत के तहत वसीयतकर्ताओं को जाना चाहिए और न्यायालय में अपना दावा स्थापित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वसीयत को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार, वादी के खिलाफ मुकदमा करना एक झूठे मामले पर जोर देने के बराबर था कि मृतक ने अपनी वसीयत को निष्पादित नहीं किया था और इसलिए, उन्होंने खुद को न्यास से अलग कर लिया था।

ई.

एफ.

मुद्दे

4.4.पक्षकारों की दलीलों पर, निचली अदालत ने मामले में शामिल प्रश्नों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:- "1.क्या वादी यह साबित करते हैं कि मृतक संगप्पा ने वसीयत विलेख के तहत उनके पक्ष में वाद संपत्तियों को वसीयत किया था:20.05.1991?

जी.

2. क्या प्रतिवादी 1 से 5 यह साबित करते हैं कि 1954 के विभाजन में आयोग एजेंसी के दुकान व्यवसाय को संयुक्त रखा गया था, जो मृतक संगप्पा के पिता के जीवनकाल के दौरान हुआ था?

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

679

ए.

3. क्या श्री संगप्पा पामपन्ना गदाशेखर ट्रस्ट, कोप्पल को मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं करने के लिए मुकदमा विचारणीय नहीं है?

4. क्या मुकदमे का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और न्यायालय शुल्क का भुगतान सही नहीं है?

बी.

5. क्या वादी इस घोषणा की राहत के हकदार हैं कि श्री संगप्पा पंपन्ना गांडशेटर ट्रस्ट, कोप्पल के नाम से बनाया गया ट्रस्ट अवैध, अमान्य है और उन पर बाध्यकारी नहीं है?6. क्या वादी 1 से 3 इस घोषणा की राहत के हकदार हैं कि वे सूट ए अनुसूची संपत्तियों के संयुक्त मालिक हैं?

सी.

7. क्या वादी संख्या 1 इस घोषणा की राहत का हकदार है कि वह सूट बी अनुसूची संपत्तियों का मालिक है?

8. क्या वादी संख्या 2 इस घोषणा की राहत का हकदार है कि वह सूट सी अनुसूची संपत्तियों का मालिक है?

डी.

9. क्या वादी संख्या 3 इस घोषणा की राहत का हकदार है कि वह सूट डी अनुसूची संपत्तियों की मालिक है?

10. क्या वादी प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के हकदार हैं?

ई.

11. क्या प्रतिवादी रुपये की अनुकरणीय लागत के हकदार हैं। 30, 000?

12. कौन-सा फरमान या आदेश?”

सबूत

एफ.

4.5.अपने मामले को साबित करने के लिए, वादी ने 8 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें उनके पिता श्री बेसेटप्पा (पीडब्लू-1), श्री राधाकृष्णराव (पीडब्लू-3) और श्री अय्यानागौड़ा हीरेगौदर (पीडब्लू-4) और अधिवक्ता श्री भुस्नूरमाथ (पीडब्लू-8) शामिल थे, जिन्हें कथित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में वसीयत सौंपी गई थी और जिन्होंने स्वामीजी की उपस्थिति में लिफाफा खोला था।वादी ने पूर्व सहित 17 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। पी. 2:वसीयत रद्द करने का विलेख 26.09.1990 जिसके तहत वसीयतकर्ता ने वर्ष 1974 में अपने द्वारा निष्पादित पहले की वसीयत को रद्द कर दिया; उदा. पी. 3:कहा जाता है कि वसीयत का हस्तलिखित मसौदा वसीयतकर्ता द्वारा तैयार किया गया था और निष्पादित वसीयत के साथ सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। पी. 4:द.

जी.

एच.

विवादित विल दिनांकित 20.05.1991।प्रतिवादियों ने 2 गवाहों से पूछताछ की और 16 दस्तावेज पेश किए।

परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष

5. लेकिन यह स्पष्ट है कि इस मामले में महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या मृतक संगप्पा ने दिनांकित वसीयत के तहत वादी के पक्ष में वाद संपत्तियों को वसीयत किया था?विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 1 और 6 से 10 को एक साथ लिया और पाया कि विचाराधीन वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के अनुसार निष्पादित किया गया था और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 की आवश्यकताओं के अनुसार साबित किया गया था। और वादी को अधिकार मिले जैसा कि उसके तहत दावा किया

गया था।विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के प्रासंगिक पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

बी.

सी.

5.1.विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह स्थापित करने वाली सभी परिस्थितियों में कि पीडब्लू-8 को विचाराधीन वसीयत और उसके मसौदे और स्वामीजी के समक्ष उसे 'आईडी1' पर खोलने का आवरण सौंप दिया गया था, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे वादियों से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था और प्रतिवादियों के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी।

डी.

5.2.ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 ने वसीयत के बारे में विवरण दिया है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे वसीयत की सामग्री को सावधानीपूर्वक जानेंगे; कि दोनों ने सर्वसम्मति से मृतक संगप्पा के बारे में बात की है कि उन्होंने उन्हें टाइप की गई वसीयत दिखाई है, उन्होंने खुद सामग्री पढ़ी है, और उनके सामने हस्ताक्षर किए हैं।ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि न तो वसीयत का मसौदा तैयार किया गया था और न ही इसे सत्यापित करने वाले गवाहों की उपस्थिति में टाइप किया गया था और सब कुछ निष्पादन के लिए तैयार था और इसलिए, मृतक की वसीयत टाइप करने के संबंध में किसी और विवरण की उम्मीद नहीं थी। विचारण न्यायालय ने पाया कि विचाराधीन वसीयत की विधिवत पहचान उक्त गवाहों द्वारा पूर्व के रूप में की गई थी। पी. 4 और संगप्पा के हस्ताक्षर भी एक्स के रूप में पहचाने गए थे। पी. 4 (ए), (बी) और (सी); पीडब्लू-3 के हस्ताक्षर एक्स पर थे। पी. 4 (डी) और पूर्व में पीडब्लू-4 का। पी. 4 (एफ)।अन्य दो गवाहों के हस्ताक्षर की भी पहचान एक्स के रूप में की गई थी। पी. 4 (ई) और एक्स. पी. 4 (जी)।इस प्रकार, विचारण न्यायालय के अनुसार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रदान किए गए प्रमाण के तरीके का विधिवत पालन किया गया।

ई.

एफ.

जी.

5.3.विचारण न्यायालय ने विभिन्न विशेषताओं पर भी ध्यान दिया और उनका वर्णन किया, जो उसकी राय में वसीयत के अस्तित्व के तथ्य को विश्वास दिलाते हैं।

6 इसके बाद 'उत्तराधिकार अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।7 इसके बाद इसे 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

681

ए.

प्रश्न में।ट्रायल कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि वसीयत का मसौदा मृतक की लिखावट में पूर्व के रूप में तैयार किया गया था। पी. 3; कि पीडब्लू-1 मृतक का एक रिश्तेदार था जो मृतक को व्यवसाय में मदद कर रहा था और मृतक की लिखावट और हस्ताक्षर से परिचित था; और इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के अनुसार लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि मसौदा निष्पादित वसीयत वाले कवर में था और सीलबंद कवर को खोलने का कोई मौका नहीं था; और यह कि भले ही वसीयत में वह सब नहीं था जो एक्स में लिखा गया था। पृ. 3, यह कोई संदेह पैदा करने का आधार नहीं था।5.4.ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि यह तथ्य कि मृतक ने प्रतिवादी नंबर 1 और उसके बेटों जैसे करीबी रिश्तेदार की उपस्थिति में एक दूर के रिश्तेदार पीडब्लू-1 की मदद ली थी, यह मानने के लिए पर्याप्त था कि मृतक और प्रतिवादी नंबर 1 और उसके बेटों के बीच कोई प्रेम नहीं था।विचारण न्यायालय ने कहा कि निर्विवाद रूप से वर्ष 1974 में निष्पादित पूर्ववर्ती वसीयत को वर्ष 1990 में रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसमें भी प्रतिवादी संख्या 1 और उसके परिवार को कुछ नहीं दिया गया था। और मृतक का इरादा स्पष्ट था कि वह प्रतिवादी संख्या 1 और उसके परिवार को कुछ भी देने को तैयार नहीं था।विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3, मृतक की बहनें, विचाराधीन वसीयत के खिलाफ बोलने के लिए न्यायालय के समक्ष नहीं आई थीं।5.5.जहाँ तक वादी के साथ मृतक के संपर्क का संबंध है, निचली अदालत ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि गाविसिद्देश्वर कॉलेज, कोप्पल में आई. यू. सी. कक्षाओं के लिए वर्ष 1991-92 और 1993-94 से संबंधित वादी संख्या 1 के प्रवेश पत्रों में, मृतक ने अभिभावक के स्थान पर हस्ताक्षर किए थे; और उन आवेदनों में दिए गए पते के अनुसार, वह वारकर गली सी/ओ संगप्पा गादेडशेटर में रह रहा था।इसलिए, प्रतिवादियों के इन आरोपों को खारिज कर दिया गया कि वादी अलग रह रहे थे।निचली अदालत ने कहा कि भले ही वादी के पिता और माता बाद में महिलाओं में मतभेद के कारण अलग-अलग रह रहे थे, लेकिन तथ्य यह रहा कि वर्ष 1993 से पहले, वादी और उनके माता-पिता मृतक के साथ रह रहे थे जैसा कि मतदाता सूचियों में देखा गया है। 1975 से 1993 तक के वर्षों से संबंधित कोप्पल शहर का)।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5.6.जहाँ तक मृतक की मानसिक स्थिति का संबंध है, निचली अदालत ने कहा कि वसीयत के निष्पादन के समय मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था और वसीयत बनाने के 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई।

एच.

उनके निधन के दिन, वे 100 किलोमीटर दूर शादी में शामिल होने गए थे, जिससे पता चलता है कि वे खुद को संभालने में सक्षम थे।ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादियों द्वारा इंगित कुछ विसंगतियां अनिवार्य रूप से वसीयत के स्व-लेखन के कारण उत्पन्न हुई थीं और यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक एक कमजोर व्यक्ति था।

विचारण न्यायालय द्वारा दी गई विसंगतियाँ/संदेहः

बी.

5.7.विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वसीयत में प्रतिवादियों द्वारा बताई गई कुछ विसंगतियों से भी निपटा और उनका उत्तर इस प्रकार दियाः

5.7.1.ट्रायल कोर्ट ने पाया कि हिंदी और अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों में विसंगति है जैसा कि एक्स में पाया गया है। पी. 3 को पूरी वसीयत पर अविश्वास करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है, विशेष रूप से जब वसीयत में उल्लिखित तिथि यानी 20.05.1991 सोमवार को पड़ रही थी और वही पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के बयान थे।ट्रायल कोर्ट के अनुसार इस विसंगति का मामले के सार पर कोई असर नहीं पड़ा।

सी.

डी.

5.7.2.ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि संपत्ति की संख्या का अभाव यह ठहराने का आधार नहीं हो सकता है कि वसीयत जाली थी और जहां तक वसीयत को प्रभावी बनाने की बात है तो वारकर गली या कटारकी रोड में घर की संपत्ति का स्थान महत्वहीन था, क्योंकि मृतक उसमें उल्लिखित सीमाओं के साथ संपत्ति देना चाहता था।इसी तरह, अनुसूची डी में वस्तु संख्या 2 के रूप में दिखाई गई संपत्ति नगरपालिका संख्या के साथ उपलब्ध थी और यह माना जाता है कि मृतक संगप्पा की थी।इसलिए, विचारण न्यायालय के अनुसार, विशिष्टताओं में किसी भी

विसंगति का कोई प्रभाव नहीं था और रिक्त स्थान भी विचाराधीन वसीयत पर कोई संदेह या संदेह नहीं डाल रहे थे।ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि कुछ विसंगतियों या कुछ अनुचित निर्देशों को संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है; और हालांकि वसीयत के पैरा 5 में संपत्ति के विवरण में उस वसीयतदार के नाम का खुलासा नहीं किया गया था जिसे यह वसीयत की गई थी, लेकिन वह भी पूरी वसीयत पर अविश्वास करने की परिस्थिति नहीं थी।

ई.

एफ.

5.7.3.ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि वसीयत का गैर-पंजीकरण जालसाजी और मनगढ़ंत धारणा को नहीं बढ़ा सकता है।ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत को गुप्त रखने का कारण यह था कि पहले की वसीयत के तहत वसीयतकर्ता मृतक की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे थे और इसलिए, मृतक हर किसी को अपनी अंतिम वसीयत की सामग्री के बारे में अनुमान लगाते रहे।

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

683

ए.

5.7.4.जहां तक प्रतिवादियों द्वारा व्यक्त की गई संदिग्ध परिस्थिति का संबंध है कि मृतक ने वर्ष 1991 में निष्पादित वसीयत में अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, निचली अदालत ने कहा कि जब वसीयत में दिखाई गई संपत्तियों के अलावा मृतक अन्य संपत्तियां भी छोड़ रहा था, तो निश्चित रूप से वे संपत्तियां उसकी पत्नी के पास गई होंगी और इसलिए वसीयत में पत्नी के लिए प्रावधान नहीं करना ऐसा आधार नहीं था जिसे संदेह के रूप में उठाया जा सके।ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत के पैरा 3 में इरकलगड़ा की 4 एकड़ जमीन गोपुर बसवेश्वर मंदिर को दी गई थी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक ने धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भी संपत्ति दी थी।

बी.

5.7.5.मृतक द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान 04.09.1993 पर नगरपालिका को आवेदन दायर करके वसीयत में उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने के संबंध में, निचली अदालत ने कहा कि ऐसी प्रविष्टियां कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखती हैं और विचाराधीन वसीयत के खिलाफ काम नहीं करती हैं।

सी.

5.7.6.जहां तक प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए इस सवाल का संबंध है कि वसीयत में पिछली घटनाओं को भी भविष्य में होने के बारे में कहा गया था, निचली अदालत ने कहा कि वसीयत के पैरा 4 में मृतक ने कहा था कि संगप्पा उत्तंगी ने वर्ष 1990 में दुकान और गोदाम खाली करने का वादा किया था और हालांकि मई 1991 के महीने में वसीयत लिखे जाने पर शब्द अलग होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तथ्य अप्रासंगिक था क्योंकि उत्तंगी एक किरायेदार था और अगर वह जारी भी रहता तो भी वसीयत के तहत वसीयतधारियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता।

डी.

ई.

5.8.विचाराधीन दस्तावेजों से संबंधित संदिग्ध विशेषताओं के संबंध में, अर्थात पूर्व वसीयत का मसौदा। पी. 3 और विल एक्स का विलेख। पी. 4, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वसीयत के प्रस्तावक द्वारा केवल मजबूत संदिग्ध परिस्थितियों को समझाने की आवश्यकता थी; और अन्य बातों के साथ-साथ टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ प्रतिवादियों द्वारा सुझाए गए संदेहों को खारिज करने के लिए आगे बढ़ेः

एफ.

5.8.1.ट्रायल कोर्ट ने पाया कि ढीली चादरों को अभ्यास नोटबुक से हटा दिया गया था और मृतक द्वारा मसौदा लिखने के लिए उपयोग किया गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि पूरा मसौदा एक दिन में बनाया गया था; और मृतक ने किसी दिन कुछ पृष्ठ और किसी अन्य दिन कुछ पृष्ठ लिखे होंगे।यह देखने के बाद कि इस तरह के खुले पत्रों पर कालानुक्रमिक संख्या उपलब्ध नहीं है, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मसौदे का उपयोग इरादे को पढ़ने और विल एक्स की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। पी. 4 लेकिन, इसका उपयोग मृतक के इरादे को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है।इस क्रम में, विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनौती देने वाले व्यक्ति

जी.

एच.

वसीयत को उत्तराधिकार के माध्यम से कोई संपत्ति मिलने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि अकेले संगप्पा की मृत्यु की स्थिति में, संपत्ति उनकी पत्नी के पास गई होगी।

5.8.2.जहाँ तक टाइपिस्ट से पूछताछ न करने का संबंध है, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल भी संदिग्ध परिस्थिति नहीं थी क्योंकि वसीयत एक गुप्त दस्तावेज था और प्रस्तावकों सहित किसी को भी यह नहीं पता था कि वसीयत कहाँ टाइप की गई थी।

बी.

5.8.3.यद्यपि विचाराधीन वसीयत में प्रारंभिक पाठ में दुर्घटना की संभावना का उल्लेख किया गया था, लेकिन इस संबंध में, निचली अदालत ने कहा कि मृतक के अलावा कोई भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता कि दुर्घटना में दुर्घटना और मृत्यु के बारे में वसीयत में लिखने के लिए उसके लिए क्या अंतर्ज्ञान था।

सी.

5.8.4.दस्तावेज़ के संबंध में (उदा. पी. 4), ट्रायल कोर्ट ने देखा कि वसीयत के पृष्ठ संख्या 1,2 और 5 हरे रंग के थे, जबकि पृष्ठ संख्या 3 और 4 का रंग समान नहीं था, लेकिन यह देखा कि टाइपिस्ट द्वारा अलग-अलग रंग की चादरों का उपयोग किया गया होगा।

डी.

5.8.5.विचारण न्यायालय ने, निश्चित रूप से, उन विशेषताओं को नोट किया कि विचाराधीन दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 1 पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर (उदा. पी. 4) एक स्याही कलम से बनाया गया था जबकि अगले पृष्ठ पर बॉलप्वाइंट कलम का उपयोग किया गया था, लेकिन इस संबंध में देखा गया कि गवाहों में से एक ने कहा था कि स्याही कलम ठीक से नहीं लिखी गई थी इसलिए बॉलप्वाइंट कलम का उपयोग किया गया था।ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि जहां तक गवाहों के सामने हस्ताक्षर करने का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक्स। पी. 4 (ए) (बी) और (सी) मृतक के हस्ताक्षर थे, जैसा कि सत्यापित करने वाले गवाहों की गवाही में साबित होता है।ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा कि वसीयत को मृतक द्वारा सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और यह दिखाने के लिए एक मजबूत परिस्थिति थी कि मृतक द्वारा वसीयत के निष्पादन पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

ई.

एफ.

5.9.अपने निष्कर्ष में, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक कोण से, विचाराधीन वसीयत स्वाभाविक थी; और वादी ने इसे साबित करने के अपने बोझ का निर्वहन किया था और प्रतिवादियों द्वारा बताई गई संदिग्ध परिस्थितियों को भी दूर कर दिया था। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वसीयत के समग्र पठन से संकेत मिलता है कि मृतक ने वसीयतकर्ताओं को संपत्तियों को विरासत में देने के इरादे से ऐसा ही लिखा था।इसलिए, मुद्दा संख्या 1 और 6 से 10 का फैसला वादी के पक्ष में किया गया।

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

685

ए.

5.10.ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में अन्य मुद्दों पर भी निष्कर्ष वापस कर दिए और तदनुसार, घोषणा और निषेधाज्ञा के साथ मुकदमे का फैसला सुनाया जैसा कि पहले देखा गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्पण

6. विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रतिवादियों की अपील में, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर भी ध्यान दिया और निर्धारण के लिए दो बिंदु निम्नानुसार बनाएः

बी.

"i) क्या वादी ने साबित किया कि मृतक संगप्पा ने दिनांकित वसीयत के तहत अपनी संपत्तियों को उनके पक्ष में वसीयत किया था?

सी.

(ii) क्या निचली अदालत ने संगप्पा द्वारा निष्पादित 20.5.1991 की वसीयत को वास्तविक माना या नहीं?"

6.1.उपरोक्त दोनों बिंदुओं के संबंध में, जो अनिवार्य रूप से विचाराधीन वसीयत की वास्तविकता के सवाल के इर्द-गिर्द घूमते थे, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा उजागर किए गए सिद्धांतों पर ध्यान दिया

डी.

श्रीमती के मामले। इंदु बाला बोस और ओआरएस. वी.मनिंद्र चंद्र बोस और अन्रः(1982) 1 एस. सी. सी. 20 और श्रीमती. जसवंत कौर बनाम श्रीमती. अमृत

कौर और ओआरएसः(1977) 1 एस. सी. सी. 369 और उसके बाद, प्रतिवादियों की बुनियादी दलीलों की जांच करने के लिए आगे बढ़े कि अपनी प्रकृति से, वसीयत एक मनगढ़ंत दस्तावेज़ प्रतीत होती है।दस्तावेज़ में ही विसंगतियों और अन्य अप्राकृतिक परिस्थितियों पर ध्यान देने के साथ-साथ स्टार गवाहों पीडब्लू-4 और पीडब्लू-8 के साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने वादी के पक्ष में प्रासंगिक मुद्दे का फैसला करने में गलती की थी और निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटते हुए कहा कि विवादित वसीयत वास्तविक नहीं थी।परिणामस्वरूप, निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया।बेशक, जहां तक कब्जे के सवाल का संबंध है, उच्च न्यायालय ने चुनाव

लड़ने वाले प्रतिवादियों के लिए कानून के अनुसार उचित उपायों का सहारा लेने के लिए इसे खुला छोड़ दिया।

ई.

एफ.

6.2.विचाराधीन दस्तावेज़ में विसंगतियों के संबंध में, उपयोग किए गए तीन पत्रकों के रंग के अंतर और वसीयतकर्ता के कथित हस्ताक्षरों के बारे में, उच्च न्यायालय ने दस्तावेज़ की सावधानीपूर्वक जांच की और अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को निम्नानुसार दर्ज कियाः

जी.

"24. माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इच्छा पर विचार करना होगा क्योंकि यह किया गया है

एच.

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि वसीयत को देखना ही इंगित करेगा कि इसे गढ़ा गया है।20.5.1991 दिनांकित वसीयत के मूल को Ex.P4 के रूप में चिह्नित किया गया है जो नीचे दिए गए न्यायालय से प्राप्त अभिलेखों में उपलब्ध है।इसे कन्नड़ लिपि में तीन पत्रकों पर टाइप किया जाता है जो आम तौर पर अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को टाइप करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।तीन चादरों का रंग है -

बी.

समान नहीं।पहली शीट हल्के हरे रंग की है**,** दूसरी शीट बहुत हल्की रंग की है **(**लगभग सफेद**)** और तीसरी शीट तीनों में गहरे रंग की है।शुरुआत में**,** यह स्पष्ट है कि तीनों शीट एक ही स्टॉक से नहीं हैं और यदि एक टाइपिस्ट से सामान्य पाठ्यक्रम में टाइप किया गया था जैसा कि दावा किया गया है**,** तो शीट एक से अलग नहीं हो सकती थी।

सी.

एक और।वसीयतकर्ता के कथित हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ के नीचे केवल सामने की ओर पाए जाते हैं।हालांकि वहाँ टाइप किया गया है

पृष्ठ **2** और **4** पर पीछे की ओर के मामले में हस्ताक्षर नहीं हैं।यहाँ तक कि फेसिंग शीट पर पाए जाने वाले हस्ताक्षर भी समान रूप से चिपकाए नहीं जाते हैं।पहले पन्ने पर

डी.

हस्ताक्षर टाइप किए गए पदार्थ की अंतिम पंक्ति से एक इंच से अधिक नीचे होता है और इसमें एक पूर्वनिर्धारित हस्ताक्षर की उपस्थिति होती है।दूसरी शीट (पृष्ठ-3) में टाइप किए गए पदार्थ के पास हस्ताक्षर हैं।अंतिम पत्रक (पृष्ठ 5) में हस्ताक्षर होता है जो टाइप किए गए पदार्थ की अंतिम पंक्ति से लगभग एक इंच नीचे होता है।हस्ताक्षर के नीचे टाइप किए गए कथित वसीयतकर्ता के नाम में मौजूदा हस्ताक्षर के नीचे टाइप किए जाने के सभी संकेत हैं।यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि टाइप किए गए पदार्थ से नाम इतना नीचे टाइप नहीं किया गया होगा, विशेष रूप से जब पत्र के बाईं ओर टाइप किया गया स्थान 'कोप्पल' और तिथि टाइप किए गए पदार्थ से कम दूरी पर हो और एक दूसरे के साथ संरेखण में न हो।चार गवाहों के हस्ताक्षर के लिए प्रदान की गई जगह बहुत ही अप्राकृतिक लगती है और उस परिस्थिति में भी कथित वसीयतकर्ता का नाम इतना कम टाइप नहीं किया जाता अगर यह स्वाभाविक होता।

ई.

एफ.

खाली शीट पर टाइप करना।पहले पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ पर फाउंटेन स्याही कलम का उपयोग करके हस्ताक्षर किए गए हैं लेकिन उपयोग की गई कलम एक दूसरे के समान नहीं है।दोसर पत्रक पर एकटा द्वारा हस्ताक्षर कयल गेल अछि।

जी.

बॉलप्वाइंट पेन।हस्ताक्षर के स्वरूप की तुलना यदि पहले स्वीकार किए गए विल दिनांक 29.6.1990 से की जाती है, जिसे पंजीकृत किया गया था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया था, जिसे Ex.P1 के रूप में चिह्नित किया गया है, तो यह बिना किसी अंतराल के लिखित सामग्री के तुरंत नीचे एक समान पैटर्न का संकेत देगा।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

687

और यहाँ तक कि एक छोटे से सुधार को भी सत्यापित किया गया है, जबकि प्रस्तावित वसीयत में, रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं।इसकी आवश्यकता नहीं है

शर्लक होम्स जैसे जासूस इन विसंगतियों को नोटिस करते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई देती हैं और इच्छा की दृष्टि से विश्वास नहीं होता है कि यह वास्तविक हो सकता है।”

बी.

(जोर दिया गया) 6.3।एक ही दस्तावेज़ पर तीन हस्ताक्षर करते समय विभिन्न उपकरणों के उपयोग की असामान्य विशेषता इसकी पूर्ण व्याख्या के लिए सामने आई जब उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-4 द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण की जांच करने के लिए आगे बढ़ा।इस गवाह पीडब्लू-4 की गवाही को अस्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अवलोकन किया और पाया किः– "27. इस पृष्ठभूमि में, हस्ताक्षरों और विभिन्न कलमों में विसंगतियों का भी महत्व है जिनका उपयोग किया गया था।इस संबंध में श्री अय्यानागौड़ा हिरेगौड़ा, जो अपनी प्रतिपरीक्षा में वसीयत के प्रमाणक गवाहों में से एक होने का दावा करते हैं, ने स्वीकार किया कि Ex.P4 (a) स्याही कलम के साथ हस्ताक्षर है, सिवाय इसके कि Ex.P4 (c) गेंद कलम के साथ हस्ताक्षर है और फिर से हस्ताक्षर Ex.P4 (b) स्याही कलम से है और उन्होंने यह भी कहा है कि Ex.P4 (a) और (b) में हस्ताक्षर उसी कलम से किए गए हैं।उन्होंने आगे कहा है कि दोनों कलम वसीयतकर्ता के पास उपलब्ध थे।उन्होंने यह कहते हुए इसे समझाने की कोशिश की है कि तीसरे पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते समय स्याही कलम काम नहीं कर रहा था, यह स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से गलत है और इस कारण से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि पहले पृष्ठ पर फाउंटेन स्याही कलम से हस्ताक्षर किए गए हैं और तीसरे पृष्ठ पर फिर से फाउंटेन स्याही कलम से हस्ताक्षर किए गए हैं जबकि दूसरे पृष्ठ पर बॉलप्वाइंट कलम से हस्ताक्षर किए गए हैं।इसलिए यह न केवल गलत कथन का संकेत देगा, बल्कि निश्चित रूप से उन अप्राकृतिक परिस्थितियों का भी संकेत देगा कि एक व्यक्ति वसीयत की प्रकृति वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते समय इतनी लापरवाही करेगा जो उसे पूरी तरह से पता है कि यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसके बारे में वह स्थिति को समझाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।एक अन्य कारण जिसके लिए उक्त स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता है वह यह है कि यदि फव्वारे की स्याही

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

वसीयतकर्ता द्वारा उपयोग किया गया कलम वास्तव में पहले पृष्ठ पर हस्ताक्षर लगाने के बाद काम नहीं कर रहा था**,** यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरी शीट पर बॉलप्वाइंट पेन से कैसे हस्ताक्षर कर सकता था और उसके बाद एक बार फिर तीसरी शीट पर फाउंटेन स्याही पेन से हस्ताक्षर कर सकता था।

एच.

पहली और तीसरी शीट में एक के समान नहीं हैं।

एक और।इसके अलावा वसीयत के लिए तथाकथित प्रमाणक गवाहों के हस्ताक्षर इंगित करते हैं कि वे फाउंटेन स्याही कलम से बनाए गए हैं और इन हस्ताक्षरों की उक्त स्याही कथित वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों की तुलना में बहुत ताज़ा है।उच्च न्यायालय ने वादी की इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि कथित विसंगतियां वसीयत की वैधता को नहीं छीन सकती हैं क्योंकि इसे पीडब्लू-8 द्वारा प्रस्तुत किया गया था और सीलबंद लिफाफा स्वामीजी की उपस्थिति में खोला गया था।उच्च न्यायालय ने बताया कि प्रस्तावित विल एक्स के हस्तलिखित मसौदे की उपलब्धता के बारे में यही दावा है। पी. 3 कथित रूप से निष्पादित विल एक्स के साथ सीलबंद लिफाफे में। पी. 4, एक अन्य अप्राकृतिक विशेषता थी क्योंकि यदि वसीयतकर्ता ने स्वयं गवाहों की उपस्थिति में वसीयत को पूरा किया था और निष्पादित किया था, तो अधूरे हस्तलिखित मसौदे को लिफाफे में रखने का कोई कारण नहीं था।उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह की विशेषता इस बात का मजबूत संकेत देती है कि वादी एक अधूरे मसौदे पर अपना हाथ रखने में सक्षम थे और उन्होंने अलग-अलग समय पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित खाली पत्रों का उपयोग करके वसीयत गढ़ी थी; और केवल इसे प्रामाणिक दिखाने के लिए, मसौदे वाले लिफाफे की कहानी बुनी गई थी।अधिवक्ता पीडब्लू-8 के साथ सीलबंद लिफाफे की उपलब्धता और स्वामीजी के समक्ष इसे खोलने के बारे में कहानी को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि संबंधित अधिवक्ता, पीडब्लू-8, वसीयतकर्ता को और वादी पीडब्लू-1 के पिता को भी जानता था क्योंकि वह वास्तव में पीडब्लू-1 की ओर से अपनी पेशेवर क्षमता में पेश हुआ था।इसके अलावा, और जैसा कि देखा गया है, वादी और गवाहों के इस दावे के संबंध में कि वसीयत वाला आवरण स्वामीजी के सामने खोला गया था, उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त स्वामीजी इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भौतिक गवाह थे, लेकिन वादी ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

6.5.उपरोक्त अकथनीय विशेषताओं, अप्राकृतिक परिस्थितियों, वादी के गवाहों की अविश्वसनीयता और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि वादी द्वारा एक भौतिक गवाह, अर्थात् उक्त स्वामीजी के बयान दर्ज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, उच्च न्यायालय ने

निचली अदालत के दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया और अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार टिप्पणी करते हुए इसे मंजूरी नहीं दीः

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

689

ए.

“28. यद्यपि उल्लिखित विसंगतियों को नीचे दिए गए न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा इस तरह से समझाने की मांग की गई है जैसे कि उसी को दूर करने के लिए जिसमें विद्वान न्यायाधीश का कहना है कि कागजों के रंग में अंतर पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग टाइपिस्ट द्वारा किया जा सकता था।विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त कागजातों में हस्ताक्षर हैं और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर की पहचान की गई है।जैसा कि हमने ऊपर देखा है, हस्ताक्षर ही संदिग्ध हैं कि यह मामला टाइप होने के बाद चिपकाया गया है और गवाहों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण और भी अधिक संदिग्ध है और इस तरह विद्वान न्यायाधीश इन पहलुओं को हल्के में नहीं ले सकते थे।”

बी.

सी.

6.6.उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया।इसलिए असफल वादियों ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

झगड़ालू सामग्री

डी.

7. उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देते हुए, वादी-अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों को दरकिनार करने में गंभीर गलती की है, जो भौतिक गवाहों के सुसंगत साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित थे। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि तथ्य रिकॉर्ड पर पर्याप्त रूप से स्थापित हैं कि वसीयतकर्ता ने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अपने हस्ताक्षर के साथ और दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापन के साथ वसीयत को निष्पादित किया, जिन्होंने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था।विद्वान वकील के अनुसार, वसीयतकर्ता भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 द्वारा आवश्यक वसीयत को स्वेच्छा से निष्पादित करते समय स्वस्थ और मानसिक स्थिति में था। पीडब्लू-3

और पीडब्लू-4 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाही दी कि वसीयतकर्ता ने स्वयं टाइप की गई वसीयत दिखाई और उसी पर अपने हस्ताक्षर किए; और वसीयत को पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था।इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।विद्वान वकील ने निर्णय का उल्लेख किया है

ई.

एफ.

जी.

एच. वेंकटचाला अयंगर बनाम बी. एन. थिम्माजम्मा के मामले में और

ओआरएसः ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 443 ने तर्क दिया है कि सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और वसीयत को नजरअंदाज करने या अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होने के कारण, निचली अदालत ने मुकदमे का सही फैसला सुनाया था और उच्च न्यायालय को निचली अदालत के सुविचारित फैसले को परेशान करने में उचित नहीं ठहराया गया है।

एच.

7.1.विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन वसीयत से संबंधित सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर कर दिया है; कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 74 के अनुसार, यह आवश्यक नहीं है कि वसीयत में तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाए; और जो आवश्यक है वह केवल यह है कि वसीयतकर्ता का इरादा वसीयत में निर्धारित किया जाना चाहिए।विद्वान वकील के अनुसार, एक्स। पी3, हस्तलिखित मसौदा, वसीयतकर्ता के इरादे को स्पष्ट करता है कि वह अपीलार्थियों को अपनी संपत्तियों की वसीयत करना चाहता था।इसके अलावा, पीडब्लू-5 और प्रतिवादी संख्या 7 ने स्पष्ट रूप से वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की पहचान की है।विद्वान वकील यह आग्रह करेगा कि वसीयतकर्ता के इरादे से रिकॉर्ड पर पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है, वसीयत में कुछ रिक्त स्थान या कुछ अन्य छोटी विसंगतियां उसके सार को दूर नहीं कर सकती हैं, विशेष रूप से जब सीमाओं की मदद से गुणों की पहचान की जा सकती है।विद्वान वकील ने निर्णयों का उल्लेख किया है

बी.

सी.

श्रीमती में। इंदु बाला बोस और ओआरएस. वी.मनिंद्र चंद्र बोस और

अन्र.:(1982) 1 एस. सी. सी. 20 और पी. पी. के. गोपालन नाम्बियार बनाम पी. पी. के. बालकृष्णन नाम्बियार और अन्यः1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 664।द.

विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि वसीयत से किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी का बहिष्कार एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं है और इसका उल्लेख किया है

डी.

उमा देवी नाम्बियार और ओ. आर. एस. बनाम.टी. सी. सिधनः(2004) 2

एससीसी 321।

7.2.विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे जोरदार तर्क दिया है कि यह उत्तरदाताओं का तर्क नहीं था कि विचाराधीन दस्तावेज़ खाली हस्ताक्षरित कागजातों पर तैयार किया गया था और उच्च न्यायालय का यह अवलोकन कि विचाराधीन दस्तावेज़ खाली हस्ताक्षरित कागजातों पर तैयार किया गया था, रिकॉर्ड पर साक्ष्य और अभिवचनों में समर्थन नहीं पाता है।इस संबंध में विद्वान वकील ने महेश के निर्णय पर भरोसा किया है।

ई.

एल. आर. बनाम विनोद कुमार और अन्य द्वारा कुमार (मृत):(2012) 4 एससीसी 387।

एफ.

7.3.अंतिम और वैकल्पिक में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि यदि उच्च न्यायालय को आवश्यक साक्ष्य की कमी मिलती है, तो उचित मार्ग आदेश एक्सएलआई नियम 23-ए सीपीसी के प्रावधानों के तहत रिमांड की शक्ति का प्रयोग करना था। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय को अपील का पहला न्यायालय होने के नाते, अपीलकर्ताओं को उचित अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निष्कर्ष प्रतिवादियों द्वारा अपने अभिवचन और साक्ष्य में उठाए गए निष्कर्षों के अलावा अन्य संदिग्ध परिस्थितियों पर दिए जा रहे थे।विद्वान वकील ने मोहन कुमार बनाम मध्य राज्य के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है

जी.

प्रदेश और अन्य.:(2017) 4 एससीसी 92।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

8. इसके विपरीत, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क और टिप्पणियों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के फैसले का विधिवत समर्थन किया है।विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि शुरू से ही, यह उत्तरदाताओं का मामला रहा है कि प्रस्तावित वसीयत एक मनगढ़ंत दस्तावेज के अलावा और कुछ नहीं थी और यह कहना गलत है कि उत्तरदाताओं द्वारा विशेष आपत्ति नहीं ली गई थी।विद्वान वकील ने निर्णय का उल्लेख किया है

बी.

के. लक्ष्मणन बनाम थेक्कायिल पद्मिनी और अन्य।:(2009) 1 एससीसी 354।

कार्यकाल के लिए बिंदु

9. प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं:

सी.

1. इस बारे में कि क्या उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि विवादित वसीयत एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था?

2. क्या उच्च न्यायालय को मामले को निचली अदालत में भेजने पर विचार करना चाहिए था?

डी.

अदालत की वसीयत-सबूत और संतुष्टि

10. जैसा कि देखा गया है, इस मामले में निर्धारण के लिए मूल बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के विपरीत दृष्टिकोण रखने और यह अभिनिर्धारित करने में उचित ठहराया गया था कि वादी द्वारा प्रस्तावित वसीयत मृतक संगप्पा की वास्तविक वसीयत नहीं है।इस बिंदु का निर्धारण, जाहिर है, वसीयत, इसके प्रमाण और अदालत द्वारा इसकी स्वीकृति जैसे वसीयतनामा दस्तावेज बनाने के लिए लागू कानूनी सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमता है।

ई.

10.1.वसीयत एक गंभीर दस्तावेज होने के कारण जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अमल में आता है, वसीयत बनाने और न्यायालय में इसके प्रमाण के लिए कानूनों में विशेष प्रावधान किए जाते हैं।उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि स्वस्थ दिमाग वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो नाबालिग नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है।वसीयत या वसीयत का कोई भी हिस्सा, जिसका निर्माण धोखाधड़ी या जबरदस्ती या किसी ऐसी अनिवार्यता के कारण हुआ है, जिसने वसीयतकर्ता की स्वतंत्र एजेंसी को छीन लिया है, को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 के तहत अमान्य घोषित किया जाता है; और इसके अलावा, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 62 वसीयत बनाने वाले को किसी भी समय इसे

बनाने या बदलने में सक्षम बनाती है जब वह वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान करने में सक्षम होता है।उत्तराधिकार अधिनियम के भाग IV के अध्याय III में विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों के निष्पादन के प्रावधान हैं (जैसे -

एफ.

जी.

एच.

अध्याय IV में प्रदान की गई विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों से अलग)।उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः–

“63. विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों का निष्पादन।-प्रत्येक परीक्षक, नहीं

यदि कोई सैनिक किसी अभियान में नियोजित है या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ है, या इस तरह से कार्यरत या लगे हुए एयरमैन, या समुद्र में नाविक है, तो वह निम्नलिखित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत का निष्पादन करेगाः- (क) वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा, या उस पर उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

बी.

सी.

(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न, या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को इस तरह रखा जाएगा कि यह प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य वसीयत के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना था।(ग) वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या निशान या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की है; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हों, और किसी विशेष प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।”

डी.

ई.

10.2.वसीयतों के निर्माण के लिए उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय VI में, धारा 74 से 111 में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जो अपने योग और सार में, विधायिका के इरादे को स्पष्ट करते हैं कि कोई भी अप्रासंगिक गलत विवरण या त्रुटि वसीयत के खिलाफ काम नहीं करना है; और एक बार वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए उसे मन की स्वस्थ स्थिति में निष्पादित किए जाने के बाद वसीयत को प्रभावी बनाने का दृष्टिकोण होना चाहिए। हालाँकि, जब वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, तो अदालत उम्मीद करेगी कि विचाराधीन दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले वैध संदेह को हटा दिया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

10.3.जैसा कि देखा गया है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।इसलिए, वसीयत के रूप में प्रस्तावित किसी भी दस्तावेज का उपयोग सबूत के रूप में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह से इस उद्देश्य के लिए पूछताछ नहीं की गई हो।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

693

अपने निष्पादन को साबित करने के लिए, यदि ऐसा गवाह उपलब्ध है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं के अनुसार साक्ष्य देने में सक्षम है, जो निम्नानुसार हैः–

“68. कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण

प्रमाणित किया।-यदि कानून द्वारा किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है, यदि कोई प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है, और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम हैः

बी.

बशर्ते कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किए गए किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण के रूप में एक प्रमाणक गवाह को

बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा इसके निष्पादन से विशेष रूप से इनकार नहीं किया जाता है जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया था।"

सी.

10.4.अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एच. वेंकटचाला अयंगर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है।यह देखा गया है कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 18 से 22 में, इस न्यायालय ने वसीयत के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज़ की जांच करते समय एक वसीयत के निष्पादन और प्रमाण और न्यायालय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों से संबंधित लगभग पूरे परिदृश्य को संश्लेषित और संक्षिप्त किया है।इस न्यायालय के उक्त 3-न्यायाधीश पीठ के निर्णय के इन अंशों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

डी.

ई.

"18. वसीयत के प्रमाण के मामले में वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है?यह सर्वविदित है कि वसीयत का प्रमाण अदालतों में निर्णय के लिए एक आवर्ती विषय प्रस्तुत करता है और इस विषय पर बड़ी संख्या में न्यायिक घोषणाएं होती हैं।वसीयत का प्रस्ताव करने वाला या वसीयत के तहत दावा करने वाला पक्ष निस्संदेह एक दस्तावेज़ को साबित करने की कोशिश कर रहा है और यह तय करने में कि इसे कैसे साबित किया जाना है, हमें अनिवार्य रूप से उन वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना चाहिए जो दस्तावेज़ों के प्रमाण को नियंत्रित करते हैं।साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 और 68 इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।धारा 67 के तहत, यदि किसी दस्तावेज़ पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का आरोप है, तो उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर उसकी लिखावट में साबित होने चाहिए, और अधिनियम की धारा 45 और 47 के तहत ऐसी लिखावट को साबित करने के लिए विशेषज्ञों और संबंधित व्यक्ति की लिखावट से परिचित व्यक्तियों की राय को प्रासंगिक बनाया जाता है।धारा 68 निष्पादन के प्रमाण से संबंधित है।

एफ.

जी.

एच.

कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ का; और यह प्रावधान करता है कि ऐसे दस्तावेज़ का उपयोग सबूत के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को उसके निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है।ये प्रावधान उन आवश्यकताओं और प्रमाण की प्रकृति को निर्धारित करते हैं जिन्हें उस पक्ष द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जो अदालत में किसी दस्तावेज़ पर निर्भर करता है। इसी तरह, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 और 63 भी प्रासंगिक हैं।धारा 59 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वस्थ दिमाग वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो नाबालिग नहीं है, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है और इस खंड के तीन चित्र इंगित करते हैं कि इस संदर्भ में "स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।धारा 63 में यह अपेक्षा की गई है कि वसीयतकर्ता वसीयत पर अपने चिह्न पर हस्ताक्षर करेगा या चिपकाएगा या उस पर उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और हस्ताक्षर या चिह्न इस तरह से किया जाएगा कि यह प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य वसीयत के रूप में लेखन को प्रभावी बनाना था।इस धारा में यह भी अपेक्षा की गई है कि वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी।

बी.

सी.

जैसा कि निर्धारित किया गया है।इस प्रकार**,** यह प्रश्न कि क्या प्रोपाउंडर द्वारा स्थापित वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत साबित होती है**,** इन प्रावधानों के आलोक में तय किया जाना चाहिए।क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं**?**क्या वह इच्छा में प्रवृत्तियों की प्रकृति और प्रभाव को समझते थे**?**क्या उन्होंने वसीयत पर यह जानते हुए हस्ताक्षर किए थे कि उसमें क्या है**?**मोटे तौर पर यह इन प्रश्नों का निर्णय है जो प्रश्न पर निष्कर्ष की प्रकृति को निर्धारित करता है

डी.

ई.

इच्छा का प्रमाण।यह कहना प्रथम दृष्टया सही होगा कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा निर्धारित सत्यापन की विशेष आवश्यकताओं को छोड़कर किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना होगा। जैसा कि अन्य दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में होता है, इसलिए वसीयत के प्रमाण के मामले में गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण की उम्मीद करना बेकार होगा।लागू की जाने वाली परीक्षा ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि की सामान्य परीक्षा होगी।19. हालांकि, एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो वसीयत को अन्य दस्तावेजों से अलग करती है।अन्य दस्तावेजों के विपरीत वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु से बोलती है, और इसलिए, जब इसे अदालत के समक्ष पेश किया जाता है या पेश किया जाता है, तो वसीयतकर्ता जो पहले ही दुनिया से चला गया है वह यह नहीं कह सकता है कि यह उसकी वसीयत है या नहीं; और यह पहलू स्वाभाविक रूप से प्रश्न के निर्णय में गंभीरता के एक तत्व का

परिचय देता है कि क्या प्रस्तावित दस्तावेज़ दिवंगत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा साबित हुआ है।फिर भी, ए में

एफ.

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

695

वसीयत के प्रमाण से निपटने के लिए अदालत उसी जांच पर शुरू करेगी जो दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में होती है।प्रस्तावक से संतोषजनक साक्ष्य के माध्यम से यह दिखाने के लिए कहा जाएगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, कि संबंधित समय पर वसीयतकर्ता एक स्वस्थ और मन की स्थिति में था, कि वह स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझता था और अपनी स्वतंत्र इच्छा के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करता था।आम तौर पर जब वसीयत के समर्थन में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य निष्पक्ष, संतोषजनक और वसीयतकर्ता के दिमाग की ध्वनि और निपटान स्थिति और कानून द्वारा आवश्यक उसके हस्ताक्षर को साबित करने के लिए पर्याप्त होता है, तो अदालतें प्रस्तावक के पक्ष में निर्णय लेने में उचित होंगी।दूसरे शब्दों में,

बी.

प्रोपाउंडर की जिम्मेदारी को अभी बताए गए आवश्यक तथ्यों के प्रमाण पर निर्वहन के लिए लिया जा सकता है।

सी.

20. हालाँकि**,** ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो सकता है।

वसीयतकर्ता का कथित हस्ताक्षर बहुत अस्थिर और संदिग्ध हो सकता है और प्रस्तावक के मामले के समर्थन में सबूत कि विचाराधीन हस्ताक्षर वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर की उपस्थिति से उत्पन्न संदेह को दूर नहीं कर सकता है; वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थिति बहुत कमजोर और कमजोर प्रतीत हो सकती है; और प्रस्तुत साक्ष्य वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता के बारे में वैध संदेह को दूर करने में सफल नहीं हो सकता है; वसीयत में किए गए स्वभाव प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में अप्राकृतिक, असंभव या अनुचित प्रतीत हो सकते हैं; या, वसीयत अन्यथा संकेत दे सकती है कि उक्त स्वभाव वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और दिमाग का परिणाम नहीं हो सकते हैं।ऐसे मामलों में अदालत

डी.

ई.

स्वाभाविक रूप से उम्मीद करें कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।इस तरह की संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक जिम्मेदारी को बहुत भारी बना देती है**;** और**,** जब तक कि इसे संतोषजनक रूप से निर्वहन नहीं किया जाता है**,** अदालतें दस्तावेज़ को अंतिम वसीयत के रूप में मानने के लिए अनिच्छुक होंगी।

एफ.

जी.

परीक्षक।यह सच है कि, यदि प्रस्तावित वसीयत के निष्पादन के संबंध में अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के प्रयोग का आरोप लगाते हुए एक कैविएट दायर किया जाता है, तो ऐसी दलीलों को कैविएटर्स द्वारा साबित करना पड़ सकता है; लेकिन, ऐसी दलीलों के बिना भी परिस्थितियां संदेह पैदा कर सकती हैं कि क्या वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम कर रहा था।

एच.

वसीयत के निष्पादन में, और ऐसी परिस्थितियों में, मामले में इस तरह के किसी भी वैध संदेह को दूर करना प्रारंभिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा होगा।

21. जिन संदिग्ध परिस्थितियों का हमने अभी उल्लेख किया है, उनके अलावा कुछ मामलों में प्रस्तावित वसीयत एक और दुर्बलता का खुलासा करती है।प्रस्तावक स्वयं वसीयतों के निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो उन्हें पर्याप्त लाभ प्रदान करते हैं।यदि यह दिखाया जाता है कि प्रोपाउंडर ने वसीयत के निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और उसे इसके तहत पर्याप्त लाभ मिला है, तो इसे आम तौर पर वसीयत के निष्पादन में एक संदिग्ध परिस्थिति के रूप में माना जाता है और प्रोपाउंडर को स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा उक्त संदेह को दूर करने की आवश्यकता होती है।यह वसीयतों के संबंध में है जो ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है कि अंग्रेजी अदालतों के निर्णय अक्सर न्यायिक विवेक की संतुष्टि की परीक्षा का उल्लेख करते हैं।यह हो सकता है कि इस संबंध में न्यायिक विवेक का संदर्भ इंग्लैंड में चर्च की अदालतों द्वारा की गई इसी तरह की टिप्पणियों से एक विरासत है जब उन्होंने वसीयत के संदर्भ

में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था; लेकिन इस संदर्भ में "विवेक" शब्द के उपयोग पर कोई भी आपत्ति, हमारी राय में, विशुद्ध रूप से तकनीकी और अकादमिक होगी, यदि पांडित्यपूर्ण नहीं। परीक्षण केवल इस बात पर जोर देता है कि, इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, अदालत एक गंभीर प्रश्न का निर्णय ले रही है और यह पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि इसे वसीयतकर्ता द्वारा वैध रूप से निष्पादित किया गया था जो अब जीवित नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

22. यह स्पष्ट है कि तथ्य के भौतिक प्रश्नों को तय करने के लिए जो प्रोबेट के लिए आवेदनों में या वसीयत पर कार्रवाई में उत्पन्न होते हैं, उनकी सराहना के लिए कोई कठोर और तेज़ या लचीले नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

एफ.

सबूत।हालाँकि, आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि वसीयत के प्रस्तावक को वसीयत के उचित और वैध निष्पादन को साबित करना होगा और यदि वसीयत के निष्पादन को लेकर कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं तो प्रस्तावक को उक्त संदेहों को अदालत के दिमाग से ठोस और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा हटा देना चाहिए।यह शायद ही है

जी.

यह जोड़ना आवश्यक है कि इन दो सामान्य और व्यापक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का परिणाम हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।यह बिल्कुल सच है कि ए के रूप में

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

697

हार्मेस बनाम हिंक्सन में लॉर्ड डू पार्क द्वारा देखा गयाः(1946) 50 सी. डब्ल्यू. एन. 895 ", जहाँ एक वसीयत पर संदेह का आरोप लगाया जाता है, नियम एक उचित संदेह का आदेश देते हैं, न कि अविश्वास में एक अस्पष्ट दृढ़ता।वे न्यायाधीश से गंभीर संदेह की परिस्थितियों में भी दृढ़ और अभेद्य अविश्वास की मांग नहीं करते हैं।उसे कभी भी सच्चाई के लिए अपना मन बंद करने

की आवश्यकता नहीं है।ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण लगेगा, लेकिन फिर भी यह सच है कि ऐसे मामलों में भी सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायिक दिमाग को हमेशा सतर्क, सतर्क और चौकस रहना चाहिए।" (जोर दिया गया) 10.5।अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इंदु बाला बोस (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 7 और 8 का उल्लेख किया है, जिन पर निम्नानुसार भी ध्यान दिया जा सकता हैः-

बी.

सी.

"7. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वसीयत साबित करने का तरीका उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा वसीयत के मामले में निर्धारित प्रमाणन की विशेष आवश्यकता को छोड़कर किसी अन्य दस्तावेज को साबित करने के तरीके से अलग नहीं है। वसीयत साबित करने की जिम्मेदारी प्रस्तावक पर होती है और वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों के अभाव में, वसीयत की क्षमता का प्रमाण और कानून द्वारा आवश्यक वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होते हैं।लेकिन कहाँ है?

डी.

ई.

यदि परिस्थितियाँ संदिग्ध होती हैं, तो अदालत द्वारा वसीयत को वास्तविक स्वीकार करने से पहले अदालत की संतुष्टि के लिए उन्हें समझाने की जिम्मेदारी प्रस्तावक पर होती है।जहाँ भी परिस्थितियाँ हों

संदेह को जन्म देते हैं, यह प्रस्तावक के लिए है कि वह अदालत के विवेक को संतुष्ट करे।संदिग्ध परिस्थितियां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता, वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थिति, वसीयत में किए गए स्वभाव अप्राकृतिक, प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में असंभव या अनुचित होने के बारे में हो सकती हैं, या वसीयत में अन्य संकेत हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि वसीयतकर्ता का दिमाग स्वतंत्र नहीं था।ऐसे मामले में अदालत स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगी कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।यदि प्रस्तावक स्वयं वसीयत के निष्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है जो उसे पर्याप्त लाभ प्रदान करता है, तो वह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और प्रस्तावक को स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह को दूर करने की आवश्यकता होती है।

एफ.

जी.

एच.

यदि प्रोपाउंडर संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में सफल हो जाता है तो अदालत प्रोबेट देगी, भले ही वसीयत अप्राकृतिक हो और पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकट संबंधों को काट सकती है।:आकाशवाणी 1964 एससी 529

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी और हर परिस्थिति "संदिग्ध" परिस्थिति नहीं है।एक परिस्थिति "संदिग्ध" होगी जब यह सामान्य नहीं होती है या सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं होती है या एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होती है।"

बी.

(जोर दिया गया)

सी.

10.6.पी. पी. के. गोपालन नाम्बियार (ऊपर) के मामले में, वसीयत

प्रश्न पंजीकृत था और पंजीयक द्वारा किए गए समर्थन से पता चलता है कि वसीयतकर्ता अच्छी मानसिक स्थिति में था और वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा से वसीयत का निष्पादन किया गया था।यह भी पाया गया कि वसीयत के पंजीकरण के 8 साल बाद वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई और हालांकि वसीयतकर्ता ने अपने लिखित बयान में वसीयत का प्रस्ताव रखा, लेकिन वसीयत की वैधता पर सवाल उठाने के लिए विरोधी पक्ष द्वारा कोई याचिका नहीं ली गई।वसीयत को प्रमाणक गवाह की जांच के साथ विधिवत साबित किया गया था।दी गई परिस्थितियों में, यह तथ्य कि दो बेटियों को वंचित करते हुए वसीयत के तहत एक बेटे को पूरी संपत्ति दी गई थी, एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं मानी गई थी।अपेक्षित दृष्टिकोण पर, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः-

डी.

ई.

"5. इन परिस्थितियों में, जिस संदेह ने जिला मुन्सिफ के मन को उत्तेजित किया, वह बिना किसी आधार के है और उन्होंने उन्हें बिना तथ्य-आधार के अपनी टोपी से चुना।अधीनस्थ न्यायाधीश ने सभी परिस्थितियों पर उचित रूप से विचार किया था और वसीयत को बरकरार रखा था।उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की जांच किए बिना, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित केवल कानूनी स्थिति को निकालकर अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा एक वाक्य में दर्ज

तथ्य के निष्कर्ष को परेशान कर दिया है।यह सामान्य बात है कि वसीयत के प्रवर्तक का कर्तव्य है कि वह वसीयत को साबित करे और सभी संदिग्ध विशेषताओं को हटा दे।

एफ.

लेकिन इसमें वास्तविक, स्पष्ट और वैध संदिग्ध विशेषताएं होनी चाहिए, न कि संदेह करने वाले मन की कल्पना।"

जी.

(जोर दिया गया) 10.7।उमा देवी नाम्बियार (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने वसीयत से संबंधित मामले के कानून की काफी हद तक समीक्षा की और जबकि ए

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

699

के मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए

शशि कुमार बनर्जी और ओआरएस बनामसुबोध कुमार बनर्जी और

ओआरएस.:ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529 ने कहा कि केवल इसलिए कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को या तो बाहर कर दिया गया है या उन्हें कम हिस्सा दिया गया है, अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं मानी जाएगी।इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

बी.

"15. अधिनियम की धारा 63 विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतों के निष्पादन से संबंधित है।इसमें कहा गया है कि वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।इसमें आगे कहा गया है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश से वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") वसीयत के प्रमाण में एक प्रमाणित करने वाले गवाह की परीक्षा को अनिवार्य करती है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं।इस न्यायालय के कई निर्णयों में वसीयत पर आधारित मामले से निपटने के दौरान सबूत के तरीके और दायित्व और न्यायालय पर डाले गए कर्तव्य से संबंधित कानून की काफी

विस्तार से जांच की गई है।शशि कुमार बनर्जी के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने संक्षिप्त रूप से कानून में केंद्रीय स्थिति का संकेत दियाः(आकाशवाणी पृष्ठ 531, पैरा 4)

सी.

डी.

ई.

“वसीयत साबित करने का तरीका आम तौर पर किसी अन्य दस्तावेज़ को साबित करने से अलग नहीं होता है, सिवाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा वसीयत के मामले में निर्धारित प्रमाणन की विशेष आवश्यकता के। वसीयत को साबित करने की जिम्मेदारी प्रस्तावक पर होती है और वसीयत के निष्पादन के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों के अभाव में, वसीयत की क्षमता का प्रमाण और कानून द्वारा आवश्यक वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त होते हैं।हालाँकि जहाँ संदिग्ध परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ अदालत द्वारा वसीयत को वास्तविक स्वीकार करने से पहले अदालत की संतुष्टि के लिए उन्हें समझाने की जिम्मेदारी प्रस्तावक पर होती है।जहां कैविएटर अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी और जबरदस्ती का आरोप लगाता है, उसे साबित करने की जिम्मेदारी उस पर होती है।यहां तक कि जहां ऐसी कोई याचिकाएं नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां संदेह पैदा करती हैं, यह प्रस्तावक के लिए है कि वह अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करे।संदिग्ध

एफ.

जी.

एच.

परिस्थितियां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की वास्तविकता, वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थिति, वसीयत में किए गए स्वभाव अप्राकृतिक, प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में असंभव या अनुचित होने के बारे में हो सकती हैं या वसीयत में अन्य संकेत हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि वसीयतकर्ता का दिमाग स्वतंत्र नहीं था।ऐसे मामले में अदालत स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगी कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेह को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।यदि प्रस्तावक स्वयं वसीयत के निष्पादन में भाग लेता है जो उसे पर्याप्त लाभ प्रदान करता है, तो वह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और प्रस्तावक को स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह को दूर करने

की आवश्यकता होती है।यदि प्रोपाउंडर संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में सफल हो जाता है तो अदालत प्रोबेट देगी, भले ही वसीयत अप्राकृतिक हो और पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकट संबंधों को काट सकती है।"

बी.

सी.

16. वसीयत को उत्तराधिकार के सामान्य तरीके को बदलने के लिए निष्पादित किया जाता है और चीजों की प्रकृति के अनुसार इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के हिस्से को पहले कम या वंचित करना पड़ता है।यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को देना चाहता है, तो वसीयत को निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।यह सच है कि वसीयत के प्रस्तावक को सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करना पड़ता है। संदेह का अर्थ है संदेह, अनुमान या अविश्वास।लेकिन यह तथ्य कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को या तो बाहर कर दिया गया है या उन्हें कम हिस्सा दिया गया है, बिना कुछ और के, विशेष रूप से उस मामले में एक संदिग्ध परिस्थिति नहीं मानी जा सकती है जहां वसीयत एक संतान के पक्ष में की गई है।जैसा कि पी. पी. के. गोपालन नाम्बियार बनाम पी. पी. के. बालकृष्णन नाम्बियार और अन्य में माना गया है:[1995] 2 एस. सी. आर. 585, वसीयत के प्रस्तावक का कर्तव्य है कि वह सभी संदिग्ध विशेषताओं को हटा दे, लेकिन इसमें वास्तविक, सटीक और वैध संदिग्ध विशेषताएं होनी चाहिए, न कि संदेह करने वाले मन की कल्पना।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि प्रस्तावक संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में सफल हो जाता है, तो अदालत को वसीयत को प्रभावी बनाना होगा, भले ही वसीयत इस अर्थ में अप्राकृतिक हो कि उसने पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकट संबंधों को काट दिया हो।..... रवीन्द्र नाथ मुखर्जी और अन्न बनाम।एल. आर. और अन्य द्वारा पंचानन बनर्जी (मृत):ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1684 में यह कहा गया था कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के वंचित होने की परिस्थिति से कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि वसीयत के निष्पादन के पीछे का पूरा विचार ए की सामान्य रेखा में हस्तक्षेप करना है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

उत्तराधिकार और इसलिए, वसीयत के हर मामले में प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।बेशक, यह हो सकता है कि कुछ मामलों में वे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और कुछ मामलों में आंशिक रूप से।"

10.8.महेश कुमार (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित में वसीयत से संबंधित साक्ष्य की सराहना करते हुए उच्च न्यायालय की ओर से दृष्टिकोण की त्रुटि का संकेत दिया:-

बी.

"44. जिस मुद्दे की जांच की जानी बाकी है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि 10-2-1992 दिनांकित वसीयत का निष्पादन संदेह से भरा हुआ था और अपीलार्थी संदेह को दूर करने में विफल रहा?शुरुआत में, हम यह अवलोकन करना आवश्यक समझते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने शोभग चंद (डी. डब्ल्यू. 3) के बयान को गलत पढ़ा और कुछ ऐसा दर्ज किया जो उनके बयान में नहीं आता है।जबकि शोभाग चंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने श्री हरिशंकर द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने के बाद गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे, विवादित फैसले में निकाले गए उनके बयान के हिस्से से यह आभास होता है कि गवाहों ने निष्पादक द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे।

सी.

डी.

45. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई एक अन्य पेटेंट त्रुटि यह है कि उन्होंने वसीयत की वैधता से संबंधित मुद्दे का फैसला यह मानते हुए किया कि दोनों प्रमाणक गवाहों को एक साथ अपने हस्ताक्षर जोड़ने की आवश्यकता थी।1925 के अधिनियम की धारा 63 (सी) में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और यह तय किया गया कानून है कि सत्यापन करने वाले गवाहों में से एक की परीक्षा पर्याप्त है।इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर एक प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने डी. डब्ल्यू. 3 और डी. डब्ल्यू. 4 द्वारा दिए गए स्पष्ट बयानों पर विचार करना छोड़ दिया कि वसीयतकर्ता ने उनकी उपस्थिति में वसीयत को पढ़ा और हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे।46. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित करने के लिए गिने गए अन्य कारण कि वसीयत का निष्पादन अत्यधिक संदिग्ध था, केवल अनुमानों/अनुमानों पर आधारित हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत कि श्री हरिशंकर के हस्ताक्षर प्राप्त करने और खाली कागज पर गवाहों को प्रमाणित करने और श्री एस. के. अग्रवाल, अधिवक्ता द्वारा पूर्व-हस्ताक्षरित कागजात पर मसौदा तैयार करने की संभावना पक्षकारों की दलीलों और साक्ष्यों से समर्थन की झलक भी नहीं पाती है।यदि प्रत्यर्थी 1 यह दिखाना चाहता था कि वसीयत का मसौदा श्री हरिशंकर के बाद अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया था और गवाहों को सत्यापित करते हुए उसने खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, तो वह

ई.

एफ.

जी.

एच.

श्री एस. के. अग्रवाल, अधिवक्ता, जिन्होंने राजस्व बोर्ड के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व किया था, उनसे पूछताछ कर सकते थे या कम से कम उन्हें तलब कर सकते थे।....."

10.9.के. लक्ष्मणन (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने शशि कुमार बनर्जी (ऊपर) के मामले सहित तय किए गए सिद्धांतों के संदर्भ में इस आवश्यकता पर फिर से जोर दिया कि प्रस्तावक को वसीयतकर्ता की वसीयती क्षमता और उसके हस्ताक्षर को साबित करके और आगे संदिग्ध परिस्थितियों के अभाव को साबित करके वसीयत के निष्पादन की वैधता और उसकी वास्तविकता को भी साबित करना होगा।इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ कहा -

बी.

"18.....प्रस्तावक को उक्त वसीयत के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों के अभाव को साबित करके और वसीयत की क्षमता और वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर को साबित करके उक्त वसीयत के निष्पादन और वास्तविकता की वैधता को साबित करना होता है।एक बार यह साबित हो जाने के बाद, यह कहा जा सकता है कि प्रोपाउंडर ने जिम्मेदारी पूरी कर ली है।

सी.

डी.

19. जब वसीयत के निष्पादन के संबंध में संदिग्ध परिस्थितियाँ होती हैं, तो अदालत की संतुष्टि के लिए उन्हें समझाने की जिम्मेदारी भी प्रस्तावक पर होती है और केवल तभी जब ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है, तो अदालत वसीयत को वास्तविक के रूप में स्वीकार करेगी।यहां तक कि जहां ऐसी कोई याचिकाएं नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां संदेह को जन्म देती हैं, यह अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए प्रस्तावक पर है।कई कारणों से संदिग्ध परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की वास्तविकता, वसीयतकर्ता के दिमाग की स्थितियाँ, वसीयत में किए गए स्वभाव अप्राकृतिक, असंभव या प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में अनुचित हैं या वसीयत में अन्य संकेत हो सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि वसीयतकर्ता का दिमाग स्वतंत्र नहीं था।ऐसे मामले में, अदालत स्वाभाविक रूप से उम्मीद

करेगी कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेह को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

10.9.1.के. लक्ष्मणन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में टिप्पणी करते हुए ऐसे मामलों में अभिवचनों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की भी व्याख्या कीः–

जी.

"28. हालाँकि वर्तमान मामले में यह स्थापित किया गया है कि उपहार विलेख और वसीयत विलेख दोनों के निष्पादन की वैधता का मुद्दा प्रतिवादी-वादी द्वारा उठाया गया था और विशेष रूप से ए से इनकार किया गया था।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

703

निषेधाज्ञा आवेदनों के संबंध में दायर हलफनामों में।द.

पक्षकारों पर यह जानते हुए भी मुकदमा चलाया गया है कि इन दोनों दस्तावेजों का निष्पादन चुनौती के दायरे में है।उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को पूरी तरह से जानने वाले दलों ने दोनों दस्तावेजों की वैधता और वैधता स्थापित करने के लिए अपने साक्ष्य का भी नेतृत्व किया। मामले के उस दृष्टिकोण में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त दस्तावेज़ को स्वीकार किया जाना चाहिए।

बी.

वादी द्वारा क्योंकि वादी द्वारा कोई प्रतिकृति दायर नहीं की गई थी।" (जोर दिया गया) 10.10। हम जसवंत कौर (उपरोक्त) के मामले में संदेह में डूबी वसीयत से निपटने के लिए उपयोगी सिद्धांतों का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिन पर उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में विधिवत ध्यान दिया थाः–

सी.

"9. ऐसे मामलों में जहां वसीयत का निष्पादन संदेह में डूबा हुआ है, इसका प्रमाण वसीयत के बीच एक साधारण आधार नहीं रह जाता है।

वादी और प्रतिवादी।आम तौर पर, एक प्रतिकूल कार्यवाही क्या है, ऐसे मामलों में अदालत का मामला बन जाता है।

डी.

विवेक और फिर विचार के लिए जो सही सवाल उठता है वह यह है कि क्या वसीयत के प्रस्तावक के नेतृत्व में साक्ष्य अदालत के विवेक को संतुष्ट करने के लिए है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था।यह असंभव है।

ई.

इस तरह की संतुष्टि तक पहुंचने के लिए जब तक कि वसीयत स्थापित करने वाला पक्ष वसीयत बनाने के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों का एक ठोस और विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं देता है।"

(जोर दिया गया) 11।ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए वसीयत के प्रमाण से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक सिद्धांतों को व्यापक रूप से संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

एफ.

1. आम तौर पर, एक वसीयत को किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना पड़ता है; जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह विवेकपूर्ण मन की संतुष्टि की सामान्य परीक्षा है।अन्य दस्तावेजों के प्रमाण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की तरह, वसीयत के मामले में भी गणितीय सटीकता के साथ प्रमाण पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

जी.

2. चूंकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, एक वसीयत को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उपयोग तब तक सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह को इसे साबित करने के उद्देश्य से नहीं बुलाया जाता है।

एच.

निष्पादन, यदि कोई जीवित और साक्ष्य देने में सक्षम गवाह है।

3. वसीयत की अनूठी विशेषता यह है कि यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बारे में बताती है और इसलिए, इसका निर्माता उन परिस्थितियों के बारे में गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं है जिनमें इसे निष्पादित किया गया था।यह प्रश्न के निर्णय में गंभीरता के एक तत्व का परिचय देता है कि क्या प्रस्तावित दस्तावेज़ वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है।स्वाभाविक रूप से, प्रारंभिक जिम्मेदारी प्रोपाउंडर पर होती है, लेकिन यह माना जा सकता है कि यह मुख्य रूप से आवश्यक तथ्यों के प्रमाण पर किया गया है जो एक वसीयत बनाने में जाते हैं।4. जिस मामले में वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, वह एक अलग आधार पर खड़ा है।संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति प्रोपाउंडर पर भारी बोझ डालती है और इसलिए, ऐसे मामलों में जहां दस्तावेज़ के निष्पादन पर परिचर परिस्थितियों से संदेह पैदा होता है, प्रोपाउंडर को दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

5. यदि वसीयत को चुनौती देने वाला व्यक्ति वसीयत के निष्पादन के संबंध में मनगढ़ंत आरोप लगाता है या धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती आदि का आरोप लगाता है, तो ऐसी दलीलें उसके द्वारा साबित की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी दलीलों के अभाव में भी, वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियों से संदेह पैदा हो सकता है या यह कि क्या वसीयत वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई थी और/या क्या वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम कर रहा था।ऐसी स्थिति में, यह फिर से प्रोपाउंडर की प्रारंभिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है कि वह मामले में सभी उचित संदेहों को दूर करे।

ई.

एफ.

6. एक परिस्थिति "संदिग्ध" होती है जब यह सामान्य नहीं होती है या 'सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं होती है या एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होती है'।जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, संदिग्ध विशेषताएँ 'वास्तविक, स्पष्ट और वैध' होनी चाहिए न कि केवल 'संदेह करने वाले मन की कल्पना'।’

जी.

7. क्या कोई विशेष विशेषता या विशेषताओं का एक समूह "संदिग्ध" के रूप में योग्य है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।एक अस्थिर या संदिग्ध हस्ताक्षर; वसीयतकर्ता का एक कमजोर या अनिश्चित दिमाग; संपत्ति का अनुचित व्यवहार; कानूनी उत्तराधिकारियों और विशेष रूप से आश्रितों का अन्यायपूर्ण बहिष्कार;

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

705

लाभार्थी द्वारा वसीयत बनाने में सक्रिय या अग्रणी भूमिका आदि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो संदेह को जन्म दे सकती हैं।ऊपर उल्लिखित परिस्थितियाँ केवल उदाहरणात्मक हैं और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं क्योंकि ऐसी कोई भी परिस्थिति या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो वसीयत के निष्पादन के बारे में वैध संदेह को जन्म दे सकती हैं।दूसरी ओर, संदिग्ध होने की योग्यता रखने वाली किसी भी परिस्थिति को प्रोपाउंडर द्वारा वैध रूप से समझाया जा सकता है।हालांकि, इस तरह के संदेह या संदेह को केवल ध्वनि के प्रमाण और सत्यापन के प्रमाण के साथ वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति और उसके हस्ताक्षर के निपटान से दूर नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

8. न्यायिक विवेक की संतुष्टि की परीक्षा तब लागू होती है जब वसीयतकर्ता की वसीयत के रूप में प्रस्तावित एक दस्तावेज़ संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा होता है।इस तरह के परीक्षण को लागू करते समय, न्यायालय खुद को इन गंभीर प्रश्नों के लिए संबोधित करेगा कि क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत की सामग्री से अवगत रहते हुए और वसीयत में स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझने के बाद वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे?

डी.

9. अंतिम विश्लेषण में, जहां वसीयत का निष्पादन संदेह में डूबा हुआ है, यह अनिवार्य रूप से न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा का मामला है और जो पक्ष वसीयत स्थापित करता है, उसे वसीयत के आसपास की संदिग्ध परिस्थितियों का ठोस और विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना होता है।

ई.

प्रश्न में इच्छा को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक परिस्थितियाँ/विशेषताएँ

12. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले पर अपनी समग्रता में विचार करने के बाद, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय ने मामले की अपने सही परिप्रेक्ष्य में जांच की है और ऐसे पर्याप्त और भौतिक कारण थे जिनके लिए, निचली अदालत के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता था; और उच्च न्यायालय ने इसे सही ढंग से उलट दिया है।

एफ.

जी.

13. विचारण न्यायालय की लंबी चर्चा के सारांश में, यह देखा जा सकता है कि विचाराधीन वसीयत के खिलाफ प्रतिवादियों की आपत्तियों को खारिज करने में विचारण न्यायालय के साथ कुछ प्रमुख कारक थेः(i) कि वसीयतकर्ता संगप्पा के प्रतिवादी नंबर 1 और उसके परिवार के साथ गर्मजोशी से संबंध नहीं थे और वह उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं था; (ii) पहले की वसीयत में भी

एच.

वर्ष 1974 में, संगप्पा ने प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों को कोई संपत्ति वसीयत नहीं की थी; (iii) वादी, वसीयतकर्ता की पत्नी के पोते, वसीयतकर्ता के साथ रह रहे थे; (iv) वादी के पिता वसीयतकर्ता के व्यवसाय और अन्य लेन-देन से जुड़े थे; (v) कि प्रमाणक गवाह केवल वसीयतकर्ता के ग्राहक थे और स्वाभाविक रूप से वसीयत के गवाह के रूप में खड़े होने के लिए स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में चुने गए थे; (vi) कि विचाराधीन वसीयत पीडब्लू-8 के कब्जे में थी और स्वामीजी की उपस्थिति में उसके द्वारा खोली गई थी; और (vii) कि पीडब्लू-8 की न तो प्रतिवादियों के साथ कोई दुश्मनी थी और न ही वसीयत से कुछ प्राप्त हो रहा था।

बी.

सी.

13.1 जहां तक प्रतिवादियों द्वारा इंगित विसंगतियों का संबंध है, निचली अदालत ने यह विचार रखा कि संपत्ति के केवल गलत विवरण का कोई प्रभाव नहीं था, विशेष रूप से जब इसकी पहचान संदेह में नहीं थी; और इसी कारण से, निचली अदालत ने संपत्ति के विवरण के संबंध में खाली स्थानों को कोई प्रभाव नहीं पाया।अतीत की घटना को भविष्य में होने वाली घटना के रूप में उल्लेख करने के संबंध में, विचारण न्यायालय ने पाया कि इसका वसीयत की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि संपत्ति में किरायेदार का अस्तित्व वसीयतकर्ता के साथ-साथ उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को भी प्रभावित करने वाला नहीं था।दुर्घटना की संभावना के बारे में वसीयत में दिए गए बयान के संबंध में, निचली अदालत ने कहा कि इस तरह का पाठ करने का कारण केवल वसीयतकर्ता को ही पता था।दस्तावेज़ से संबंधित संदिग्ध कारकों पर, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि विभिन्न रंगों के कागज की चादरों के उपयोग का श्रेय केवल टाइपिस्ट को दिया जा सकता है जो प्रोपाउंडरों को नहीं पता था।ट्रायल कोर्ट ने आगे पाया कि हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों के बारे में विसंगति का कोई प्रभाव नहीं था

क्योंकि वसीयत के निष्पादन का दिन सोमवार था, जैसा कि गवाहों ने कहा था।इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि विभिन्न पृष्ठों पर अलग-अलग कलमों द्वारा वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करने को गवाह पीडब्लू-4 द्वारा विधिवत समझाया गया था।

डी.

ई.

एफ.

14. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने स्वयं दस्तावेज़ से असंतुष्ट महसूस किया और पहले निकाले गए कुछ अंशों में उसके द्वारा विस्तृत और चर्चा की गई कई अप्राकृतिक परिस्थितियों के बारे में रिकॉर्ड पर कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया।अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष असाधारण बने हुए हैं।

जी.

15. स्वयं दस्तावेज़ को लेते हुए, यह विवाद में नहीं है कि उसमें 3 अलग-अलग कागजों पर 5 टाइप किए गए पृष्ठ हैं, जो ए हैं।

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

707

निश्चित रूप से एक ही रंग का नहीं।निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी यह देखा था और यह निर्विवाद है कि उक्त कागजात अलग-अलग रंगों के हैं और एक ही ढेर से नहीं लिए गए हैं।5 पृष्ठों में चलने वाले वसीयत के दस्तावेज़ को टाइप करने के लिए कागज की 3 अलग-अलग शीट्स का उपयोग (जिसमें पहला और दूसरा पेपर दोनों तरफ टाइप किया जाता है), किसी भी मामले में, सामान्य परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक सामान्य कार्रवाई नहीं है।यह सच है कि इस पहलू को केवल टाइपिस्ट द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता था और प्रोपाउंडरों से टाइपिस्ट को जानने की उम्मीद नहीं की जाती है, विशेष रूप से जब उन्होंने दस्तावेज़ के निष्पादन और सत्यापन में भाग नहीं लिया था, लेकिन यह परिस्थिति यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि यह मामला आसपास के सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए गहन जांच की आवश्यकता है क्योंकि, आम तौर पर, इस तरह के दस्तावेज़ को एक ही बैठक में और एक ही ढेर से निकाले गए कागजात पर टाइप किया जाता था।

बी.

सी.

15.1.आगे बढ़ते हुए, एक और विशेषता सामने आती है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया था (हालांकि निचली अदालत द्वारा चर्चा नहीं की गई थी)।यह विशेषता 3 पृष्ठों पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों को रखने के बारे में है, जहां यह स्पष्ट है कि पहले और अंतिम पृष्ठ पर, टाइप की गई सामग्री से हस्ताक्षरों की दूरी सामान्य या प्राकृतिक से अधिक है।यह विवाद में नहीं है कि यह विशेषता भी विचाराधीन दस्तावेज़ पर एक नंगे नज़र से निकलती है।

डी.

15.2.उपरोक्त दो विशेषताएँ, अपने आप में, भौतिक असर वाली नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे लेन-देन के सामान्य पाठ्यक्रम के विपरीत हैं और दस्तावेज़ की वास्तविकता के बारे में वैध संदेह को जन्म देती हैं।अब, उपरोक्त दो विशेषताओं से उत्पन्न होने वाला संदेह एक अन्य कारक से भ्रमित है कि हालांकि दस्तावेज़ में वसीयतकर्ता के 3 हस्ताक्षर हैं, लेकिन वे एक ही कलम से नहीं बनाए गए हैं।यह देखा गया है, और फिर से यह निर्विवाद है कि पृष्ठ संख्या 1 पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर एक स्याही कलम से हैं, कि पृष्ठ संख्या 3 पर एक बॉलप्वाइंट कलम से हैं और फिर, पृष्ठ संख्या 5 पर, यह एक स्याही कलम से है।गवाह पीडब्लू-4 ने यह कहने का प्रयास किया है कि स्याही पेन ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए बॉलप्वाइंट पेन का उपयोग किया गया था।यह पूरी तरह से अप्राकृतिक लगता है और यह समझ से परे है कि अगर स्याही कलम काम नहीं कर रही थी और दूसरा हस्ताक्षर बॉलप्वाइंट कलम से किया गया था, तो तीसरा हस्ताक्षर, यानी आखिरी हस्ताक्षर, फिर से दूसरे स्याही कलम से कैसे और क्यों बनाया गया था?यह सत्यापित करने वाले गवाहों का स्पष्टीकरण नहीं था कि पृष्ठ संख्या 3 पर हस्ताक्षर करने के बाद, बॉलप्वाइंट पेन ने भी काम करना बंद कर दिया और इसलिए, तीसरे हस्ताक्षर करने के लिए एक और स्याही पेन का उपयोग किया गया था।हम.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यह देखा जा सकता है कि जब वसीयतकर्ता द्वारा एक ही दस्तावेज़ के अलग-अलग पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर के लिए अलग-अलग कलम या उपकरणों का उपयोग करने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाता है और यह तथ्य भी, अपने आप में, मामले का निर्णायक नहीं

हो सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि वसीयत के दस्तावेज़ के निष्पादन के दौरान इस तरह की घटना को सामान्य या प्राकृतिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

बी.

15.3.इसलिए, वर्तमान मामले में, दस्तावेज़ एक्स की तीन विशेषताएं हैं। पी. 4, अपनी खुद की असामान्य विशेषताओं के साथ, रिकॉर्ड के सामने खुद को प्रकट करता है और दस्तावेज़ पर एक नंगे नज़र डालने के अलावा कुछ भी उन्हें नोटिस करने के लिए पर्याप्त नहीं है।विचाराधीन दस्तावेज़ की उपरोक्त तीन अप्राकृतिक और असामान्य विशेषताएं, जहां कागज की अलग-अलग शीट्स का उपयोग किया गया है; जहां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर कम से कम दो स्थानों पर अंतिम टाइप किए गए पदार्थ से सामान्य दूरी से परे हैं; और जहां तीन हस्ताक्षर करने में, कम से कम दो अलग-अलग कलमों का उपयोग किया गया था, यह स्पष्ट करता है कि यह पता लगाने के लिए एक गहरी जांच की आवश्यकता है कि क्या इस दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

सी.

डी.

15.4.जब अन्वेषण को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है, तो एक और प्रमुख विशेषता सामने आती है, जिसे उच्च न्यायालय ने देखा है, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट के ध्यान से पूरी तरह से बच गया है।विचाराधीन दस्तावेज़ को 5 पृष्ठों में चलने वाला एक वसीयत कहा जाता है जो कागज के 3 पत्रकों पर टाइप किया जाता है (कन्नड़ लिपि में) जिसमें पहली और दूसरी पत्रकों में दोनों तरफ टाइप की गई सामग्री होती है; पृष्ठ संख्या 2 को पृष्ठ संख्या 1 के पीछे टाइप किया जाता है और पृष्ठ संख्या 4 को पृष्ठ संख्या 3 के पीछे टाइप किया जाता है।महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस दस्तावेज़ का पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 Ex है। पी. 4. कोई भी हस्ताक्षर न करें!

ई.

एफ.

15.4.1.अभिलेख के चेहरे पर यह स्पष्ट है कि जब सामने वाले पृष्ठों यानी पृष्ठ संख्या 1,3 और 5 में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, तब भी पीछे के पृष्ठों यानी पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं और वे बिना हस्ताक्षर के चले जाते हैं।जब इस भौतिक पहलू को उपरोक्त तीन असामान्य विशेषताओं में जोड़ा जाता है, तो इस दस्तावेज़ का संभावित मूल्य पूर्व। पी. 4 मूल रूप से हिल जाता है और यह एक गंभीर सवाल बन जाता है कि क्या इस दस्तावेज़ को एक वसीयत माना जा सकता है जिसे कथित प्रमाणक गवाहों की उपस्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा टाइप और हस्ताक्षरित किया गया था।

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

709

ए.

15.4.2.पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की कमी के इस पहलू के संबंध में, हम यह भी देख सकते हैं कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (बी) की आवश्यकता के अनुसार, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न को इस तरह रखा जाना है कि यह प्रतीत होगा कि ऐसे हस्ताक्षर या चिह्न से, लेखन को वसीयत के रूप में प्रभावी बनाने का इरादा था।बेशक, जब वसीयत बनाने का कोई विशिष्ट रूप प्रदान नहीं किया जाता है, तो किसी दिए गए मामले में, प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, कई पत्रकों पर तैयार किया गया दस्तावेज़, लेकिन अंत में केवल हस्ताक्षर वाला दस्तावेज़ भी एक वास्तविक वसीयत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जहां दस्तावेज़ को केवल एक हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया था।हालांकि, वर्तमान परिदृश्य की तरह, जहां निष्पादक ने कथित रूप से 5 में से 3 टाइप किए गए पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि अन्य 2 पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, निश्चित रूप से किसी भी सामान्य व्यक्ति के सामान्य तरीके से व्यवहार करने के विपरीत है।जब वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर वास्तव में पृष्ठ संख्या 1,3 और 5 पर उपलब्ध होते हैं, तो उसी दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 पर हस्ताक्षर करने में उनकी चूक के लिए कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण खोजना मुश्किल होता है।एकमात्र स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि वसीयतकर्ता ने प्रत्येक पेपर के सामने वाले चेहरे पर हस्ताक्षर करना चुना और पेपर के पीछे की ओर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं समझा।हालाँकि, इस तरह की कमजोर व्याख्या को स्वीकार करना, और वह भी अन्य असामान्य विशेषताओं (जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है) के बावजूद, दस्तावेज़ में संभावित मूल्य को जोर देने के समान होगा, जबकि उन सभी चीजों की अनदेखी करना जो घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ असंगत और असंगत हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

15.4.3.निर्विवाद तथ्य यह है कि विचाराधीन दस्तावेज़ का पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 (पूर्व। पी. 4) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर न रखें, जबकि अन्य पृष्ठों पर उनके हस्ताक्षर हैं, हमारे विचार में, दस्तावेज़ को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (बी) की आवश्यकता के साथ या कम से कम गैर-अनुपालन में रखता है। विचाराधीन दस्तावेज़ को केवल इसी कारण से पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है।हालांकि, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विचाराधीन दस्तावेज़ से संबंधित अन्य तथ्यात्मक पहलुओं से निपटना उचित होगा।

एफ.

जी.

15.5.अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन दस्तावेज़ की कम से कम चार असामान्य विशेषताएं अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट हैं।पुनर्कथन के लिए, विचाराधीन दस्तावेज़ की परेशान करने वाली असामान्य विशेषताएं यह हैं कि:(i) इसे कागज की 3 अलग-अलग शीटों पर टाइप किया जाता है; (ii) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर का स्थान एकरूपता का नहीं है।

एच.

और पृष्ठ संख्या 1 और पृष्ठ संख्या 5 पर टाइप की गई सामग्री और हस्ताक्षरों के बीच अत्यधिक जगह देखी जाती है; (iii) विभिन्न पृष्ठों पर हस्ताक्षर के लिए अलग-अलग कलमों का उपयोग किया गया है जिसमें पहले और तीसरे हस्ताक्षर के लिए स्याही कलम का उपयोग किया गया है (पृष्ठ संख्या 1 और पृष्ठ संख्या 5 पर) और दूसरे हस्ताक्षर के लिए बॉलप्वाइंट कलम का उपयोग किया गया है (पृष्ठ संख्या 3 पर); और (iv) सभी टाइप किए गए पृष्ठों पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसमें पृष्ठ संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 4 पर कोई हस्ताक्षर नहीं है।इसके लिए बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि सामान्य, सामान्य और सामान्य पाठ्यक्रम में, इस तरह के टाइपराइट किए गए दस्तावेज़ एक ही ढेर से तैयार किए गए कागज के पत्रकों पर होने की उम्मीद है; दस्तावेज़ के माध्यम से चलने वाले हस्ताक्षरों को रखने में उचित एकरूपता होगी और प्रत्येक हस्ताक्षर को सामग्री के साथ या उससे उचित दूरी पर रखा जाएगा; सभी स्थानों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक ही कलम या उपकरण का उपयोग किया जाएगा; और, आम तौर पर, वसीयत बनाने वाला अपने इरादे की अभिव्यक्ति में ऐसी अस्पष्टता नहीं छोड़ेगा जो उसके 3 पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उसी दस्तावेज़ के 2 अन्य पृष्ठों पर हस्ताक्षर नहीं करने से उत्पन्न होगी।वास्तव में, लेन-देन के सामान्य और सामान्य क्रम में, वसीयत बनाने वाले से दस्तावेज़ के किसी भी पृष्ठ को बिना हस्ताक्षर के छोड़ने की कम से कम अपेक्षा की जाती है।हालाँकि दस्तावेज़ के टाइप करने और हस्ताक्षर करने के दौरान ऐसी कुछ असामान्य विशेषताओं (जैसा कि ऊपर देखा गया है) के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब ऐसी सभी असामान्य विशेषताएँ एक साथ जुड़ती हैं, तो दस्तावेज़ बहुत कमजोर हो जाता है और इसे एक वास्तविक दस्तावेज़ के रूप में आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. आगे बढ़ते समय, हम उपयोगी रूप से वसीयत के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज़ की जांच से संबंधित सिद्धांतों को दोहरा सकते हैं कि दस्तावेज़ को संदेह के साथ संपर्क नहीं किया जाता है, बल्कि सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक जाँच की जाती है।ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए विचाराधीन दस्तावेज़ में असामान्यता की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो असामान्यताओं के दायरे में आती हैं।मामला केवल इस तरह की असामान्यताओं के साथ नहीं है।ये असामान्य विशेषताएं इस दस्तावेज़ की सामग्री में उपलब्ध अन्य असामान्य विशेषताओं के साथ भ्रमित हो जाती हैं। निर्विवाद रूप से, गुणों के विवरण के संबंध में कई रिक्त स्थान पाए जाते हैं और यहां तक कि कुछ गुणों का सही वर्णन नहीं किया गया है।इसके अलावा, हिंदी कैलेंडर और अंग्रेजी कैलेंडर के संदर्भ में दस्तावेज़ में उल्लिखित तिथियां मेल नहीं खाती हैं।एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि पिछली घटना के दस्तावेज़ में (वर्ष 1990 में किरायेदार द्वारा दुकान को खाली करने के बारे में) इस तरह से पाठ किया जाता है कि ऐसी घटना भविष्य में होगी।इसलिए, ए से संबंधित असामान्यताएँ

एफ.

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

711

कागज, कलम और हस्ताक्षर दस्तावेज़ में खाली स्थानों के साथ-साथ गलत और अकथनीय पाठों के साथ आवर्धित हो जाते हैं।

17. दस्तावेज़ एक्स के संभावित मूल्य से संबंधित समस्याएं। पी. 4 उपरोक्त असामान्य विशेषताओं और जिज्ञासु कारकों के साथ समाप्त नहीं होता है।इस दस्तावेज़ की बारीकी से जांच हमें असामान्यताओं से रहस्यों की ओर भी ले जाती है।इस दस्तावेज़ के शुरुआती अंश में, पाठ का प्रभाव यह है कि वसीयतकर्ता वसीयत बना रहा था क्योंकि कई दुर्घटनाएं होती हैं।तथ्य यह है कि वसीयतकर्ता और उसकी पत्नी दोनों की 20.05.1994 पर कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन यह स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से रहस्यमय क्षेत्र में यात्रा करने की आवश्यकता होगी कि 20.05.1991 पर वसीयत बनाते समय, वसीयतकर्ता को पूर्व सूचना थी कि वह एक वाहन दुर्घटना में नष्ट हो जाएगा।

बी.

सी.

18. जैसा कि देखा गया है, भले ही वसीयत की जांच करते समय दोषों और कमियों की खुदाई के साथ मछली पकड़ने की जांच का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही, सामान्य घटना या आचरण से परे किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न होने वाले वास्तविक और वैध संदेहों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।विचाराधीन दस्तावेज़ के संबंध में देखी गई सभी विशेषताओं को अनदेखा करने या दरकिनार करने के लिए एक व्यक्तिगत विशेषता को लेने और इसे तुच्छ या मामूली होने के रूप में अनदेखा करने की आवश्यकता होगी और फिर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि यह केवल संयोग की बात थी कि सभी असामान्यताओं ने किसी तरह इस एक दस्तावेज़ में शामिल होने का विकल्प चुना।इस तरह का दृष्टिकोण, जाहिर है, वास्तविकताओं से अलग होगा और इसे अपनाया नहीं जा सकता है।इस बात पर शायद ही कोई जोर दिया जाए कि वसीयत के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज़ की जांच वास्तविकता के मानदंडों के साथ-साथ सामान्य स्थिति पर भी होनी चाहिए और सभी विशेषताओं और परिस्थितियों के समग्र प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

19. जब उपरोक्त सभी असामान्य, जिज्ञासु और बल्कि रहस्यमय परिस्थितियों को एक साथ रखा जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह होता है कि विचाराधीन दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।दस्तावेज़ से संबंधित अस्पष्टीकृत, असामान्य और असामान्य विशेषताओं से केवल यह तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि विचाराधीन दस्तावेज़ वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद खाली हस्ताक्षरित कागजातों के उपयोग के साथ तैयार किया गया था जो प्रस्तावकों और उनके सहयोगियों के कब्जे में आए थे।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री की गहन जांच के बाद इस तरह की कटौती की है और हमारे विचार में यह सही है।यह देखा गया है कि ऊपर बताए गए सभी लक्षण और कारक बहुत अधिक उपलब्ध हैं।

जी.

एच.

रिकॉर्ड के चेहरे पर।तथापि, विचारण न्यायालय, अत्यधिक विवरणों में कई तर्कों पर विचार करते हुए भी, या तो ऊपर दर्शाई गई कुछ विशेषताओं पर ध्यान देने में विफल रहा या असामान्यता वाले विशेष लक्षण को इस प्रभाव से दरकिनार कर दिया कि प्रस्तावकों से दस्तावेज़ से संबंधित संदेहों को दूर करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जबकि दस्तावेज़ के निष्पादन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।विचारण न्यायालय ने, जाहिर है, कई प्रमुख और महत्वपूर्ण कारकों पर खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है, इसके निर्णय को मंजूरी नहीं दी जा सकती थी।

बी.

19.1.अपीलार्थियों की ओर से यह संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है कि खाली कागजों का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा की गई आपत्ति नहीं थी।विवाद इस सरल कारण से सारहीन बना हुआ है कि प्रतिवादियों ने वास्तव में जोर देकर कहा कि विचाराधीन दस्तावेज़ एक मनगढ़ंत था। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध खाली कागजों पर इसे तैयार किए जाने की संभावना एक कटौती के अलावा और कुछ नहीं है जो तार्किक रूप से विचाराधीन दस्तावेज़ की जांच से निकलती है।20. अपीलार्थियों की ओर से इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं के अनुसार वसीयत का निष्पादन प्रमाणक गवाहों की गवाही के साथ रिकॉर्ड पर विधिवत स्थापित किया गया है और वह गवाह भी जिसके साथ वसीयत के हस्तलिखित मसौदे के साथ वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा जमा की गई थी।अपीलार्थियों की ओर से इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं के अनुसार दस्तावेज़ का केवल प्रमाण वसीयत के रूप में दस्तावेज़ की स्वीकृति के लिए अंतिम और निर्णायक नहीं है।जब संदिग्ध परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं और संदेह को दूर नहीं किया जाता है, तो विचाराधीन दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

21. यहां तक कि वादी और उनके गवाहों की ओर से सुझाव दिया गया पहलू कि विचाराधीन दस्तावेज़ (उदा। पी. 4) एक वसीयत के रूप में तैयार किया गया था और हस्तलिखित मसौदे (उदा. पी. 3) की अपनी कमियाँ और असामान्यताएँ हैं।यह निर्विवाद है कि उक्त मसौदा (उदा. पी. 3) अधूरा रह गया था।यह माना जा सकता है कि वसीयतकर्ता द्वारा पहले की वसीयत को रद्द करने के बाद अंततः अपनी अंतिम वसीयत बनाने के लिए इसे अपनी लिखावट में तैयार किया जा रहा था, लेकिन यह केवल अधूरा मसौदा ही रह गया था।यदि वसीयतकर्ता ने स्वयं अपनी वसीयत टाइप कराई थी और फिर, इसे ए में निष्पादित करने का ध्यान रखा था

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

713

4 प्रमाणित करने वाले गवाहों की उपस्थिति; और यदि वह इस तरह के निष्पादित दस्तावेज को अपनी वसीयत के रूप में संचालित करना चाहता था; और यह भी इरादा था कि उसकी वसीयत को स्वामीजी के सामने खोले जाने के लिए एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, तो व्यवहार के सामान्य क्रम में, उनसे उक्त अधूरे मसौदे को भी लिफाफे में रखने की कम से कम उम्मीद की जाती थी क्योंकि इस तरह के अधूरे मसौदे को रखने से केवल वास्तविक वसीयत के संबंध में भ्रम पैदा हो सकता था, यदि कोई था।इस मामले को समग्र रूप से देखते हुए, संभावना की प्रधानता केवल इस प्रभाव के लिए है कि मृतक संगप्पा द्वारा वसीयत के निष्पादन के बारे में पूरी कहानी आसानी से उपलब्ध हस्ताक्षरित कागजात (हालांकि कागज के विभिन्न पत्रों और विभिन्न उपकरणों के साथ हस्ताक्षर के साथ) के उपयोग के साथ बनाई गई है और, कुछ प्रामाणिकता का सुझाव देने के लिए, सीलबंद लिफाफे की कहानी और उसे पीडब्लू-8 के साथ छोड़ने की कोशिश की गई थी।यह सुविधा केवल वादी के खिलाफ काम करती है जहां यह एक और अस्पष्टीकृत असामान्यता रखता है।

बी.

सी.

22. ट्रायल कोर्ट काफी हद तक इस तथ्य से प्रभावित था कि मृतक संगप्पा प्रतिवादी नंबर 1 और उसके परिवार को कोई संपत्ति देने के लिए इच्छुक नहीं था जैसा कि वर्ष 1974 में उसके द्वारा निष्पादित पूर्व वसीयत का मामला था।मान लीजिए, वर्ष 1974 की उक्त वसीयत को श्री संगप्पा ने 26.09.1990 पर रद्द कर दिया था।20.05.1991 पर वाहन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।चाहे वह प्रतिवादियों को कोई संपत्ति वसीयत करने का इरादा रखता था या नहीं, इसका ऊपर देखी गई संदिग्ध परिस्थितियों के संबंध में शायद ही कोई संबंध हो।

डी.

ई.

23. विभिन्न प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार करने के बाद, जो व्यक्तिगत रूप से और संचयी रूप से केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचाराधीन दस्तावेज़ को स्वर्गीय श्री संगप्पा की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वादी के मामले में कई अन्य कमियों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं लगता है, जिसमें कई अन्य कारक शामिल हैं जैसे कि वादी ने कभी भी उक्त स्वामीजी का बयान दर्ज कराने के लिए कदम नहीं उठाए, जिसे अन्यथा सभी भौतिक

गवाहों द्वारा उस व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया था जिसके सामने दस्तावेज़ कथित रूप से खोला गया था।

एफ.

24. हमारे विचार में, विचाराधीन दस्तावेज़ एच. वेंकटचाला अयंगर (ऊपर) के मामले में बताए गए पहले प्रश्न पर सपाट पड़ता है, यानी कि क्या वसीयतकर्ता ने विचाराधीन वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे।इस सवाल का जवाब केवल नकारात्मक है।यह इस तथ्य के अलावा है कि विचाराधीन दस्तावेज, जिसे वसीयत के रूप में प्रस्तावित किया गया है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खंड (बी) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है।

जी.

एच.

24.1.अंतिम विश्लेषण में, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि विवादित वसीयत एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था।

एक-दूसरे की माँग के लिए बुलाया गया था

25. निर्धारण के लिए दूसरे बिंदु पर विचार करते हुए, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि उच्च न्यायालय को आदेश एक्स. एल. आई. नियम 23 ए सी. पी. सी. में निहित प्रावधान का सहारा लेकर मामले को रिमांड पर लेने पर विचार करना चाहिए था, हमारे विचार में, पूरी तरह से सारहीन है; इस निवेदन को केवल खारिज करने के लिए नोट किया गया है।
25.1.मूल फरमानों से अपील से संबंधित प्रक्रिया (आमतौर पर 'नियमित पहली अपील' के रूप में संदर्भित) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI में प्रदान की गई है और उसमें, अपील की सुनवाई, मामले के रिमांड, मुकदमे के लिए मुद्दों को प्रेषित करने, अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने आदि से संबंधित विभिन्न प्रावधान 'सुनवाई पर प्रक्रिया' उप-शीर्षक के तहत नियम 16 से 29 में निहित हैं।उनकी प्रासंगिकता के लिए, हम आदेश एक्स. एल. आई. सी. पी. सी. के नियम 23,23 ए, 24 और 25 में निहित प्रावधानों पर निम्नानुसार ध्यान दे सकते हैंः-

बी.

सी.

डी.

"23. अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले का प्रत्यर्पण।- जहाँ न्यायालय

जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी जाती है, उसने प्रारंभिक बिंदु पर वाद का निपटारा कर दिया है और डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है, अपीलीय न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो आदेश द्वारा मामले को रिमांड कर सकता है, और आगे निर्देश दे सकता है कि इस तरह से रिमांड किए गए मामले में कौन से मुद्दे या मुद्दों पर मुकदमा चलाया जाएगा, और अपने निर्णय और आदेश की एक प्रति उस न्यायालय को भेजेगा, जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें दीवानी मुकदमों के रजिस्टर में मुकदमे को उसकी मूल संख्या के तहत फिर से स्वीकार करने के निर्देश दिए जाते हैं, और मुकदमे को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं; और मूल मुकदमे के दौरान दर्ज साक्ष्य (यदि कोई हो), सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, रिमांड के बाद मुकदमे के दौरान सबूत होंगे।

ई.

एफ.

23 ए. अन्य मामलों में रिमांड।- जहाँ से न्यायालय

डिक्री एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है जिसने प्रारंभिक बिंदु के अलावा मामले का निपटान किया है, और डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है और पुनः परीक्षण आवश्यक माना जाता है, अपीलीय न्यायालय के पास वही शक्तियां होंगी जो नियम 23 के तहत हैं।

जी.

24. जहां अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है**,** अपीलीय न्यायालय

अंत में मामले का निर्धारण हो सकता है।**-** जहां अभिलेख पर साक्ष्य अपीलीय न्यायालय को निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है**,** क

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

अपीलीय न्यायालय, यदि आवश्यक हो तो मुद्दों का पुनर्निर्धारण करने के बाद, अंत में वाद का निर्धारण कर सकता है, इसके बावजूद कि जिस न्यायालय की डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी जाती है, उसका निर्णय पूरी तरह से उस आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर आगे बढ़ा है जिस पर अपीलीय न्यायालय आगे बढ़ता है।

25. जहाँ अपीलीय न्यायालय मुद्दों को तैयार कर सकता है और उन्हें मुकदमे के लिए उस न्यायालय को भेज सकता है जिसके आदेश से अपील की गई हो।- कहाँ का

बी.

जिस न्यायालय की डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी गई है, उसने किसी भी मुद्दे को तैयार करने या परीक्षण करने या तथ्य के किसी भी प्रश्न को निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया है, जो योग्यता के आधार पर वाद के सही निर्णय के लिए अपीलीय न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होता है, अपीलीय न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो मुद्दों को तैयार कर सकता है और उसे उस न्यायालय को परीक्षण के लिए भेज सकता है जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी जाती है, और ऐसे मामले में ऐसे न्यायालय को आवश्यक अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देगा।

सी.

और ऐसा न्यायालय ऐसे मुद्दों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ेगा और अपने निष्कर्षों और उसके कारणों के साथ साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय को ऐसे समय के भीतर वापस कर देगा जो अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए या उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाए।" 25.2.सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से आदेश एक्स. एल. आई. सी. पी. सी. में नियम 23 ए जोड़ा गया।इस संशोधन से पहले, न्यायालयों द्वारा आम तौर पर यह स्वीकार किया गया था कि हालांकि नियम 23 के तहत, रिमांड का आदेश केवल प्रारंभिक बिंदु पर मुकदमे का निपटारा करने वाली डिक्री को उलटने पर ही किया जा सकता है, लेकिन अपीलीय न्यायालय के पास उस मामले को रिमांड करने की अंतर्निहित शक्ति है जहां न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक समझा गया था।कुछ उच्च न्यायालयों ने अपने संबंधित संशोधनों के माध्यम से इसी तरह के प्रावधान किए थे।1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा आदेश एक्स. एल. आई. में नियम 23 ए को शामिल करने से यह स्पष्ट होता है कि भले ही मुकदमे का निपटारा प्रारंभिक बिंदु के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया हो और डिक्री को अपील में उलट दिया गया हो, अपीलीय न्यायालय के पास रिमांड की शक्ति होगी, यदि पुनः परीक्षण आवश्यक माना जाता है।8

डी.

ई.

एफ.

जी.

8 आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 23 और 23 ए में प्रदान की गई रिमांड की ऐसी शक्तियां, नियम 25 के तहत निष्कर्षों के लिए किसी मुद्दे को प्रेषित करने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति से अलग हैं।प्रेषण की शक्ति का उपयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब विचारण न्यायालय ने किसी भी भौतिक मुद्दे का परीक्षण करने या तथ्य के किसी भी प्रश्न को निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया हो।दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में उचित प्रक्रिया जहां विचारण न्यायालय गुण-दोष के आधार पर वाद का निपटारा करते हुए, एक या अधिक भौतिक मुद्दों/प्रश्नों का निर्धारण करने में विफल रहा

है, नियम 25 के तहत मुद्दे/प्रश्नों को प्रेषित करना है और पूरे मामले को फिर से सुनवाई के लिए रिमांड नहीं करना है। आम तौर पर,

एच.

25.3.आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 23 और 23 ए में निहित रिमांड के प्रावधानों की योजना की समझ आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 24 में निहित प्रावधान के संदर्भ के बिना पूरी नहीं होती है जो अपीलीय न्यायालय को रिमांड के बिना किसी मामले का निपटान करने में सक्षम बनाता है यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर्याप्त है; इसके बावजूद कि अपीलीय न्यायालय उस आधार पर आगे बढ़ता है जिस पर निचली अदालत ने कार्यवाही की थी।

बी.

25.4.आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 23,23 ए और 24 का एक संयुक्त अध्ययन रिमांड की शक्तियों के दायरे के साथ-साथ रूप को भी सामने लाता है कि जब उपलब्ध साक्ष्य मामले का निपटारा करने के लिए पर्याप्त है, तो एक अपीलीय न्यायालय के लिए उचित मार्ग आदेश एक्स. एल. आई. सी. पी. सी. के नियम 24 के जनादेश का पालन करना और अंत में मुकदमे का निर्धारण करना है।यह केवल ऐसे मामलों में है जहां चुनौती में डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है और एक पुनः परीक्षण आवश्यक माना जाता है कि अपीलीय न्यायालय मामले को रिमांड करने की प्रक्रिया अपनाएगा।यह सामान्य बात है कि रिमांड का आदेश नियमित तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि रिमांड का अनुचित आदेश न्याय के कारण को पूरा किए बिना मुकदमे के जीवन को केवल बढ़ाता है।केवल इस आधार पर रिमांड का आदेश कि साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित बिंदुओं पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था, किसी दिए गए मामले में उचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास स्वयं तथ्यों में प्रवेश करने और साक्ष्य की सराहना करने का अधिकार क्षेत्र है।बेशक, ऐसी कई संभावनाएं हो सकती हैं जो रिमांड के आदेश को उचित ठहरा सकती हैं या जहां किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर रिमांड की आवश्यकता होगी।

सी.

डी.

ई.

25.4.1.मोहन कुमार (उपरोक्त) के मामले में अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय एक उपयुक्त उदाहरण है कि अपीलीय न्यायालय को रिमांड की शक्ति का प्रयोग कब करना

चाहिए।उक्त मामले में, अपीलार्थी और उसकी माँ ने सरकार और स्थानीय निकाय के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें स्वामित्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और विचाराधीन भूमि के संबंध में कब्जे की वसूली की मांग की गई थी।द.

एफ.

आदेश XLI के नियम 25 के तहत एक आदेश के मामले में, मामले को अपीलीय न्यायालय की फाइल पर रखा जाता है और केवल मुद्दे/प्रश्न (ओं) को निष्कर्षों के लिए परीक्षण न्यायालय को भेजा जाता है।दूसरी ओर, जब नियम 23 या नियम 23 ए के तहत रिमांड का आदेश दिया जाता है, तो पूरा मामला निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस चला जाता है, सिवाय उस बिंदु के जिस पर अपीलीय अदालत ने निष्कर्ष निकाला है, यदि कोई हो।नियम 23 या नियम 23 ए के तहत रिमांड करते समय, निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार करने की आवश्यकता होती है, लेकिन आदेश XLI के नियम 25 का सहारा लेते समय विवादित फैसले और डिक्री को दरकिनार करना आवश्यक नहीं है।

जी.

एच.

शिवकुमार और ओआरएस. बनाम.शरनाबासप्पा और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

717

ए.

ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा कि वादी उस विवाद में भूमि के मालिक थे जिस पर प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और वे अतिक्रमण हटाने के हकदार थे; और यह भी माना गया कि सरकार को भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए और अपीलकर्ता को भूमि का बाजार मूल्य देना चाहिए।निचली अदालत की डिक्री के ऐसे हिस्से को प्रतिवादियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन निचली अदालत के फैसले के हिस्से के खिलाफ, जिसके परिणामस्वरूप वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने न केवल अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार दायर अपील को खारिज कर दिया, बल्कि इस निष्कर्ष के साथ पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया कि वादी-अपीलार्थी मुकदमे की भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने में विफल रहा क्योंकि उसने अपने बिक्री विलेख के विक्रेता की जांच नहीं की थी।दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता अपने विक्रेता की जांच न होने के कारण वाद भूमि पर अपना अधिकार साबित करने में सक्षम नहीं था, तो उच्च न्यायालय के लिए उचित मार्ग यह था कि अपीलार्थी को पहले से ही प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अलावा उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना अधिकार साबित करने का अवसर प्रदान करके मामले को विचारण न्यायालय को भेज दिया जाए।स्पष्टतः, इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष के लिए, पुनः विचारण के लिए एक मामला बनाया गया था, विशेष रूप से जब विचारण न्यायालय ने अन्यथा अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का स्वामी था और अतिक्रमण

हटाने के साथ-साथ भूमि का बाजार मूल्य प्राप्त करने का भी हकदार था।ऐसे मामले जहां किसी विशेष कारण से और विशेष रूप से इस कारण से पुनः विचारण आवश्यक माना जाता है कि किसी पक्ष को पर्याप्त साक्ष्य देने का पर्याप्त अवसर आवश्यक है, उन मामलों की तुलना में पूरी तरह से अलग आधार पर खड़े होते हैं जहां साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके होते हैं और साक्ष्य की सराहना पर निर्णय दिया जाना होता है।यह भी तुच्छ है कि रिमांड का आदेश केवल किसी पक्ष को अपने मामले में कमी को भरने की अनुमति देने के उद्देश्य से पारित नहीं किया जाना है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

25.5.यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि रिमांड का अवसर तभी उत्पन्न होगा जब विचारण न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट दिया जाएगा और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षण आवश्यक समझा जाएगा।

जी.

25.6.वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से वह था जिसमें पक्षों ने अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जो भी वे चाहते थे; और यह वादी-अपीलार्थियों का मामला नहीं था कि उन्हें कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत करने के किसी भी अवसर से वंचित किया गया था या यदि किसी समान कारण से मुकदमा दूषित किया गया था।जैसा कि देखा गया, कई संदिग्ध थे

एच.

विचाराधीन वसीयत के आसपास की परिस्थितियाँ, जिनमें से कुछ पर विचारण न्यायालय ने ध्यान दिया था, लेकिन असमर्थनीय कारणों से इसे खारिज कर दिया गया था।उच्च न्यायालय ने एक ही साक्ष्य और एक ही परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच की है और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा है जो ध्वनि और प्रशंसनीय प्रतीत होता है, और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं

प्रतीत होता है।उच्च न्यायालय के पास मामले को निचली अदालत में भेजने पर विचार करने का कोई कारण या अवसर नहीं था।इस संबंध में तर्क आवश्यक है और खारिज किया जाता है।

बी.

निष्कर्ष

26. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले में सही हस्तक्षेप किया है और सही निर्णय दिया है कि विचाराधीन दस्तावेज़ को मृतक संगप्पा की वास्तविक वसीयत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के लिए मामले को निचली अदालत में भेजने का कोई कारण नहीं था।27. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील विफल हो जाती है और इसलिए, पक्षकारों को पूरे समय अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ते हुए खारिज कर दिया जाता है।

सी.

डी.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.